प्राधिकरण बोर्ड की 143वीं बैठक

हेतु

विचारणीय विषयों की सूची

तिथि : 28 अगस्त, 2010

समय : 4.00 बजे सायंकाल

स्थान : एम0ए0 मसऊद हाल
नवीन प्राधिकरण भवन
गोमती नगर, लखनऊ।

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 143वीं बैठक दिनांक 28.08.2010 में

विचारणीय विषयों की कार्य सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.06.2010 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01–05
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.06.2010 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	06–08
3	हरदोई रोड आवासीय योजना (बसन्तकुंज) के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश सं0–298/आठ-3–2010–56–एल.ए./96, दिनांक 08.02.2010 के अनुसार ग्राम बरीकला की भूमि हेतु चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित परिचालन से स्वीकृत प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	09–14
4	मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0–2822/(एम.एस.)/ 2009 तथा रिट याचिका संख्या-817/2010(एम.बी.) के क्रम में भूखण्ड सं0–321 सेक्टर-बी महानगर के भू-उपयोग को योजना के तलपट मानचित्र में ''आवासीय'' से ''शैक्षिक, नर्सरी स्कूल'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	15–38
5	नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने तथा ग्राम मेमोरा को डिनोटिफाई किये जाने के सम्बन्ध में।	39–43
6	गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-6 के अन्तर्गत ''अपना घर'' आवासीय योजना के ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के चार मंजिले भवनों के निर्माण हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	44–46
7	हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के सेक्टर ''ओ'' व ''एन'' के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	47–50
8	स्व0 श्री संतोष कुमार निगम, राजस्व निरीक्षक की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव	51
9	रायबरेली रोड पर ग्राम कल्ली पश्चिम में प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	52–53

10	अवध अपार्टमेंट सहकारी आवास समिति लि0 को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 आवंटित समूह आवास भूखण्ड संख्या जी.एच.-4/23 के सम्बन्ध में।	54
11	इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बिना प्रीमीयम के मात्र लीज रेण्ट पर पट्टे पर दी गयी भूमि के फ्री-होल्ड किये जाने में दरों का पुनः निर्धारण।	55

विषय संख्या : 143/01 पृष्ठ संख्या: 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 2010 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 2010 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 142वीं बैठक दिनांक 22 जून, 2010 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री प्रशान्त त्रिवेदी	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री अनिल कुमार सागर	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री पी0के0श्रीवास्तव अपर नगर आयुक्त	प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5.	श्री एन0आर0वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6.	श्री रवि रस्तोगी जनरल मैनेजर	प्रतिनिधि–मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7.	श्री सी0पी0 शर्मा मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक	प्रतिनिधि–आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8.	श्री एल0एस0पी0सिंह क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
10.	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

11.	श्रीमती संगीता सिंह	प्रभारी सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री संजीव सिन्हा	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री अवधेश कुमार	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री एस0बी0 मिश्र	संयुक्त निदेशक (भू0 / वि0), ल0वि0प्रा0।
15.	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री जे0एन0 रेड्डी	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

कार्यवाही:-

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा विभिन्न एजेन्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.05.2010 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.05.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.05.2010 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.05.2010 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3

हाइटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत हाइटेक टाउनशिप 2700 एकड़ के कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर शासनादेश सं0-2258/आठ-1-05-53विविध/03 दिनांक 27.04.06 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित डी0पी0आर0 समिति की संस्तुतियों को शासनादेश सं0-2872/आठ-1-07-34विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 07 के कम में विचारार्थ।

निर्णय :

शासनादेश सं0-2258/आठ-1-05-53विविध/03 दिनांक 27.04.06 के कम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित डी0पी0आर0 समिति की दिनांक 09.04.10 की संस्तुति के कम में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2010 को बैठक हुई, जिसमें विकासकर्ता मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 का कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 स्वीकृति योग्य पाया गया। समिति की संस्तुति आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश

सं0-2872/आठ-1-07-34विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 07 के कम में लीडा क्षेत्र में सम्मिलित 4 ग्रामों के डी-नोटीफाइड होने तक, विकासकर्ता के उक्त 4 ग्रामों के अन्तर्गत ले-आउट की स्वीकृति व विकास अनुबन्ध सम्पादित न करने के प्रतिबन्ध के साथ विकासकर्ता का प्रस्तुत किया गया कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 4

रिवरव्यू एन्क्लेव फेज-2 में पूर्व में मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 के पक्ष में अनुबन्धित भवनों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, रिवरव्यू फेज-2 गोमती नगर के स्वीकृति भवनों की संख्या 1432 को संशोधित करते हुए मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 के पक्ष में कुल 1908 भवनों के निर्माण कराये जाने एवं अनुबन्ध को संशोधित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि इन भवनों की दर व स्पेसीफिकेशन पूर्व भवनों के अनुरूप ही होगा। भविष्य में नई योजनाओं/परियोजनाओं हेतु अलग से टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे।

विषय संख्या : 5

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के लागू होने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा पूर्व में श्रेणी-"ख" व "ग" के मानचित्रकारों को भवन मानचित्र बनाने हेतु दिये गये लाइसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव को शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 6 — आर्थिक मंदी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण एवं संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर निर्णय के सन्दर्भ में।

निर्णय : — आर्थिक मंदी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण एवं संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए नीलामी की शर्तों के अनुसार वसूली किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(संगीता सिंह)
प्रभारी सचिव

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(प्रशान्त त्रिवेदी)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्या : 1	**लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.05.2010 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.05.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
विषय संख्या : 2	**लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.05.2010 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
निर्णय :	प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.05.2010 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन किया गया।
अनुपालनः	अनुपालन नोट किया गया।
विषय संख्या : 3	हाइटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत हाइटेक टाउनशिप 2700 एकड़ के कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर शासनादेश सं0–2258/आठ–1–05–53 विविध/03 दिनांक 27.04.06 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित डी0पी0आर0 समिति की संस्तुतियों को शासनादेश सं0–2872/आठ–1–07–34 विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 07 के कम में विचारार्थ।
निर्णय :	शासनादेश सं0–2258/आठ–1–05–53विविध/03 दिनांक 27.04.06 के कम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित डी0पी0आर0 समिति की दिनांक 09.04.10 की संस्तुति के कम में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2010 को बैठक हुई, जिसमें विकासकर्ता मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 का कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 स्वीकृति योग्य पाया गया। समिति की संस्तुति आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–2872/आठ–1–07–34 विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 07 के

क्रम में लीडा क्षेत्र में सम्मिलित 4 ग्रामों के डी–नोटीफाइड होने तक, विकासकर्ता के उक्त 4 ग्रामों के अन्तर्गत ले–आउट की स्वीकृति व विकास अनुबन्ध सम्पादित न करने के प्रतिबन्ध के साथ विकासकर्ता का प्रस्तुत किया गया कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 विस्तृत रूप से विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनुपालनः प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ता मे0 गर्व बिल्टेक प्रा0लि0 को उनके कंन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 को अनुमोदित होने की सूचना कार्यालय पत्र सं0–278बी/सी.ई./एच.टी.आई.जी./10–11 दिनांक 25.06.2010 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। विकासकर्ता द्वारा विस्तृत विन्यास मानचित्र प्रस्तुत करने पर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 4 **रिवरव्यू एन्क्लेव फेज–2 में पूर्व में मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 के पक्ष में अनुबन्धित भवनों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में।**

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, रिवरव्यू फेज–2 गोमती नगर के स्वीकृति भवनों की संख्या 1432 को संशोधित करते हुए मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 के पक्ष में कुल 1908 भवनों के निर्माण कराये जाने एवं अनुबन्ध को संशोधित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि इन भवनों की दर व स्पेसीफिकेशन पूर्व भवनों के अनुरूप ही होगा। भविष्य में नई योजनाओं/परियोजनाओं हेतु अलग से टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे।

अनुपालन : गोमती नगर विस्तार योजना में रिवर व्यू इन्क्लेव फेज–2 के अन्तर्गत निविदित अलखनन्दा, राप्ती, बेतवा एवं रोहिणी अपार्टमेंट के अतिरिक्त संशोधित भवनों की संख्या हेतु शिप्रा, सतलज एवं कावेरी अपार्टमेंट के अन्तर्गत उक्त भवन मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तो

पर किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा इन भवनों का कार्य मौके पर प्रारम्भ किया जा चुका है।

विषय संख्या : 5

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के लागू होने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा पूर्व में श्रेणी–"ख" व "ग" के मानचित्रकारों को भवन मानचित्र बनाने हेतु दिये गये लाइसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव को शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–557/वी.सी/टी.पी/2010 दिनांक 07.07.10 द्वारा प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।

विषय संख्या : 6

आर्थिक मंदी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण एवं संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर निर्णय के सन्दर्भ में।

निर्णय :

आर्थिक मंदी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावदेनों के परीक्षण एवं संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए नीलामी की शर्तों के अनुसार वसूली किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समस्त आवेदकों को आवेदन पत्र निरस्त होने की सूचना के साथ–साथ नीलामी की शर्तो के अनुसार धनराशि जमा करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

विषय संख्या पृष्ठ संख्या

विषयः- हरदोई रोड आवासीय योजना(वसंतकुंज) के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश 298/आठ-3-10-56 एल.ए./96 दिनांक 08.02.10 के अनुसार ग्राम बरीकला की भूमि हेतु चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।

हरदोई रोड आवासीय योजना (वसंतकुंज) के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 के शासनादेश 298/आठ-3-10-56 एल.ए./96 दिनांक 08.02.10 के अनुसार ग्राम बरीकला की भूमि हेतु चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव संलग्न कर पुष्टिकरण हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संगीता सिंह
पी.सी.एस.
प्रभारी सचिव

दूरभाष : 0522–2302576
कार्या0 : 0522–2621425
लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

अ0शा0प0सं0 सी–2029/सचिव/वि
दिनांक 13-08-2010

आदरणीय महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड (बसन्त कुंज) योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकलां की भूमि हेतु चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर शासनादेश संख्याः– 298/8–3–2010–56 एलए/96, दिनांक 08.02.2010 के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखे जाने का प्रस्ताव तैयार कर संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक निकट भविष्य में शीघ्र होने की सम्भावना नहीं है, अतः उपर्युक्त प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया परिचालन के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः– यथोपरि ।

भवनिष्ठ,

Singh 13/08/10

(संगीता सिंह)

1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी,
   आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
   अध्यक्ष ल0वि0प्रा0 ....

2. श्री जे0एन0 चैम्बर
   प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,
   उ0प्र0 शासन ....

3. श्री मृत्युंजय कुमार नारायण,
   उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 ....

4. श्री एम0वी0एस0 रामीरेड्डी
आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

5. श्री अवनीश कुमार अवस्थी,
महानिदेशक एवं प्रबन्ध निदेशक, पर्यटन,
उ0प्र0 ।

6. श्री अनिल कुमार सागर,
जिलाधिकारी, लखनऊ।

7. श्री सोमेश्वर दयाल,
निदेशक, कोषागार, लखनऊ।

8. श्री शैलेश कुमार सिंह,
नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

9. श्री ए० के० चतुर्वेदी
संयुक्तनिदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल।

10. ई0 बृजेन्द्र प्रताप सिंह,
मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।

11. श्री एन0आर0 वर्मा,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।

12. श्री मुसव्विर अली 'मन्सू'
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

13. श्री गोविन्द पाण्डेय,
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

14 श्री सुरेश कुमार रावत,
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

15. श्री राम कृष्ण यादव,
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,

विषयःहरदोई रोड आवासीय योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश 298/8–3–2010–56एल.ए./9(दिनांक 08.02.2010 के अनुसार ग्राम बरीकलां की भूमि हेतु चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत ग्राम बेगरिया, पीरनगर, बरावनखुर्द, छन्दोईया, गजराहार एवं बरीकला की 1355 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा–4 व 6 की अधिसूचना क्रमशः दिनांक 11.12.81 व दिनांक 30.07.83 को प्रकाशित की गयी थी। भूमि का कब्जा वर्ष 1987–88 में प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया था तथा वर्ष 1985 में अभिनिर्णय घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ग्राम बरीकलां में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा–4 की अधिसूचना प्रकाशित करने के पश्चात वर्ष 1983 में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी एवं वर्ष 1995 में समाप्त हुयी। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा–4 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात यदि चकबन्दी की प्रक्रिया चालू भी रहे तो उसी स्थिति में रोक दी जाती है, परन्तु ग्राम बरीकलां में चकबन्दी की प्रक्रिया सम्भवतः त्रुटिवश धारा–6 की अधिसूचना के उपरान्त भी चलती रही। चकबन्दी में विभिन्न खसरा की भूमि की स्थिति व क्षेत्रफल मालियत के आधार पर निर्धारित होती है एवं उसकी स्थिति चकबन्दी के पश्चात (क्षेत्रफल एवं स्थान में) प्रायः भिन्न हो जाती है। ग्राम–बरीकलां की भूमि की स्थिति चकबन्दी के उपरान्त बदल गयी है। चूंकि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद चकबन्दी का औचित्य नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा ग्राम–बरीकलां में चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही अभिनिर्णय घोषित किया गया, जबकि स्थल पर चकबन्दी के बाद की स्थिति के अनुसार विभिन्न खातेदारों के कब्जे थे।

2. हरदोई रोड आवासीय योजना में अधिग्रहित भूमि के अभिनिर्णय में रू0 0.04 से 0.17 प्रति वर्ग फीट की दर से प्रतिकर की दर निर्धारित की गयी थी। प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर की दर कम होने एवं इसे बढ़ाए जाने की मांग की जाती रही एवं स्थल पर विकास कार्य नहीं होने दिया गया। इसे दृष्टिगत रखते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 09.06.1997 के अनुसार समतल भूमि के लिए रू0 1,25,000.00 तथा गढ्डे की भूमि के लिए रू0 75,000.00 प्रति बीघा की

(एस0बी0 1384)
संयुक्त निदेशक (पू0वि0)
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

दर से प्रतिकर भुगतान एवं दिनांक 01.10.91 से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था।

3. शासनादेश के अनुसार प्रतिकर भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर ग्राम—बरीकलां के अन्तर्गत यह कठिनाई आई कि अभिनिर्णय चकबन्दी के पूर्व की स्थिति को लेते हुए घोषित किया गया था, जबकि मौके पर विभिन्न किसान चकबन्दी के बाद की स्थिति में काबिज थे। प्रारम्भ में यह तय किया गया था कि प्राधिकरण द्वारा जहाँ—जहाँ निर्माण व विकास कार्य प्राराम्भ किया जाना है, चरणबद्ध रूप में सर्व प्रथम उन्हीं स्थलों का समझौते के आधार पर अतिरिक्त धनराशि का भुगातन किया जाए। स्थल पर अनाधिकृत रूप से काबिज किसान बिना भुगतान प्राप्त किए कार्य नहीं होने दे रहे थे, ऐसी स्थिति में यह निश्चित किया गया था कि ग्राम बरीकलां में चकबन्दी के बाद की स्थिति के अुनसार समझौते की धनराशि का भुगतान किया जाए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि चकबन्दी से पूर्व व चकबन्दी के बाद की स्थिति में भिन्नता थी, कुछ खसरा नम्बर के क्षेत्रफल चकबन्दी के बाद कम हो गये थे एवं कुछ के बढ़ गये थे, ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया था कि चकबन्दी के बाद के स्थिति के अनुसार समझौते की धनराशि का भुगतान किया जाए परन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी न हो, अर्थात चकबन्दी से पूर्व व चकबन्दी के बाद की स्थिति में जिसमें भी न्यूनतम क्षेत्रफल हो उसके आधार पर ही भुगतान किया जाए। इस आशय का एक प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 1.03.08 के विषय संख्या—12 पर किया गया था, जिसका अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया था। प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की प्रति **संलग्न** की जा रही है।

4. शासनादेश दिनांक 09.06.1997 के अनुसार प्रतिकर वितरण के उपरान्त भी योजना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आन्दोलन प्रारंम्भ किया गया एवं यह कहा गया कि पूर्व में किए गए समझौते के अनुसार जो धनराशि दी जा रही है वह कम है एवं इसे और बढ़ाया जाए। सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 298 / आठ—3—2010—56एलडीए दिनांक 08.02.2010 के माध्यम से पूर्व में दी जा रही धनराशि में 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने तथा भूमि का कब्जा हस्तान्तरित हो जाने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज देनें का निर्णय लिया गया।

5. वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) द्वारा अपने पत्र संख्या 1147 / 8—(भू.अ.) / न.म.पा.प्रथम / लखनऊ दिनांक 05.069.2010 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा—4 की अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त चकबन्दी की कार्यवाही प्रभाव शून्य होती है एवं इसी आधार पर तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति

(एस० पी० सिंह)
संयुक्त निदेशक (, वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

अधिकारी द्वारा चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के अनुसार अभिनिर्णय घोषित किया गया था। वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शासनादेश के क्रम में बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान अभिनिर्णय के अनुसार ही किया जाना नियमानुसार होगा। उनके द्वारा स्पष्ट मत दिया गया है कि अभिनिर्णय के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रक्रिया से अर्थात चकबन्दी के बाद की स्थिति के अनुसार यदि अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा तो वह अनियमित होगा।

6. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकलां की समस्त भूमि का प्रातिकर भुगतान किया जाना है, ऐसी स्थिति में चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर भुगतान करने में भी स्थल पर विकास कार्यों में इस कारण से कोई व्यवधान नहीं होगा कि इस ग्राम की समस्त भूमि का प्रतिकर भुगातन किया जाना है एवं यदि कोई किसान किसी अन्य स्थल पर अनाधिकृत रूप से काबिज है एवं उसकी भूमि चकबन्दी से पूर्व कहीं और थी, तो भी उसके द्वारा प्रतिरोध नहीं किया जाएगा।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण के समक्ष हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकलां की अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर एवं शासनादेश दिनांक 8.02.2010 के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का वितरण अभिनिर्णय के आधार पर चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के अनुसार कराए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण के समक्ष हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकलां की अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर एवं शासनादेश दिनांक 08.02.2010 के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का वितरण अभिनिर्णय के आधार पर चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के अनुसार कराए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(एस० सी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (प्र०/वि०)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

विषय: मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-2822/(एम0/एस0)/2009 तथा रिट याचिका सं0-817/2010(एम0बी0) के क्रम में भूखण्ड संख्या-321 सेक्टर-बी, महानगर के भू-उपयोग को योजना के तलपट मानचित्र में ''आवासीय'' से ''शैक्षिक, नर्सरी स्कूल'' में परिवर्तित किए जाने के संबंध में।

विषय वस्तु:

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-817/2010(एम0बी0) के क्रम में भूखण्ड संख्या-321 सेक्टर-बी, महानगर के भू-उपयोग को योजना के तलपट मानचित्र में ''आवासीय'' से ''शैक्षिक, नर्सरी स्कूल'' में परिवर्तित किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राधिकरण की 141वीं बैठक दिनांक 18.05.2010 के विषय सं0-16 (अनुलग्नक-1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

''महानगर योजना के सेक्टर-बी स्थित भूखण्ड संख्या: बी-321 क्षेत्रफल 870.14 वर्गमीटर के भू-उपयोग को ''आवासीय'' से ''शैक्षिक, नर्सरी स्कूल'' में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत जन साधारण से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।''

प्राधिकरण की बोर्ड द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के क्रम में जनसाधारण से 30 दिन की अवधि में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से एक सूचना दिनांक 22.06.2010 को लखनऊ से प्रकाशित समाचार-पत्र ''आज'' व ''पायनियर'' में प्रकाशित करायी गयी। प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में निर्धारित अवधि में 83 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति एवं सुझाव के रूप में प्राधिकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये जिसकी सुनवाई हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाली सूचना के व्यय को आवेदक से प्राप्त किये जाने हेतु उन्हें सूचित किया गया।

इस मध्य मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-2822(एम0/एस0)/2009 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2010 को यह आदेशित किया गया है कि इन आपत्ति/सुझावों में चूँकि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के

सम्बन्ध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी है एवं समस्त व्यक्तियों द्वारा इस भू-उपयोग परिवर्तन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये गये है, अतः इन आपत्तियों एवं सुझावों को Communication माना जाये तथा विकास प्राधिकरण के स्तर से इसकी सुनवाई किये जाने की आवश्यकता नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को 2 सप्ताह के अन्दर बैठक आयोजित कर प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित आवेदक के प्रार्थना-पत्र पर विचार करने हेतु आदेशित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश अनुलग्नक-2 पर प्रस्तुत है।

प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय होंगे:-

I. महानगर एक अत्यन्त पुरानी नियोजित कालोनी है जिसमें आवासीय उपयोग तथा इसके आनुषांगिक अन्य उपयोग यथा व्यावसायिक, विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं इत्यादि को यथा स्थान अलग-अलग नियोजित किया गया है। इस योजना में स्कूल हेतु अलग से तत्समय आवश्यकतानुसार भूखण्ड प्राविधानित है जिन पर पूर्व से ही स्कूल संचालित है।

II. नगर में विभिन्न नियोजित कालोनियों में अनेक व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से 'आवासीय' उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों पर अवैध रूप से स्कूल एवं अन्य व्यवसाय चलाये जा रहे हैं। अतः इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी होगी, जिससे भविष्य में किसी भी भू-उपयोग परिवर्तन को दृष्टांत न बनाया जा सके।

III. सामान्य परिस्थितियों में आवासीय कालोनियों के अन्तर्गत स्कूल भूखण्डों का नियोजन आवासीय भूखण्डों की 'रो' के मध्य में नहीं किया जाता है तथा इसकी लोकेशन इस प्रकार से रखी जाती है जिसे आवासीय गतिविधियों तथा यातायातीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रश्नगत प्रकरण में वर्तमान में अवैधरूप से संचालित स्कूल तथा भूखण्ड सं0-321 जिसके भू-उपयोग परिवर्तन हेतु सिटी माण्टेसरी स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है, दोनो ही नियोजित आवासीय भूखण्डों की 'रो' के मध्य स्थित हैं।

IV. प्रश्नगत भूखण्ड के बगल में भूखण्ड सं0-बी-320 पर सिटी माण्टेसरी स्कूल द्वारा अवैधरूप से स्कूल संचालित है। इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं जिस पर वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय

का स्थगन आदेश प्रभावी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश (अनुलग्नक-3) के क्रम में सिटी माण्टेसरी स्कूल द्वारा भूखण्ड सं0-बी-320 पर संचालित स्कूल को वैकल्पिक रूप से भूखण्ड सं0-बी-321 पर स्थानान्तरित करने हेतु भूखण्ड सं0-321 के भू-उपयोग को परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है। भूखण्ड सं0-320 पर अवैधरूप से संचालित स्कूल में हाईस्कूल व इण्टर स्तर की शिक्षा दी जाती है। (अनुलग्नक-4) भूखण्ड सं0-321 का क्षेत्रफल 867.14 वर्ग मी है। भूखण्ड सं0-बी-321 के भू-उपयोग परिवर्तन होने की दशा में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के प्राविधान (अनुलग्नक-5) के अन्तर्गत इस क्षेत्रफल के भूखण्ड पर नर्सरी स्कूल स्तर तक के स्कूल की प्रस्तावना को ही नियमानुसार अनुमन्य किया जा सकता है। अतः भूखण्ड सं0-321 के भू-उपयोग परिवर्तन की दशा में हाई स्कूल व इण्टर स्तर के स्कूल को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तावः

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय में योजित सं0-2822(एम0/एस0)/2009 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2010 को पारित आदेश के क्रम में भूखण्ड सं0-321 सं0-बी, महानगर के भू-उपयोग को "आवासीय" से "शैक्षिक, नर्सरी स्कूल" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक -1

विषय संख्याः 141 / 16

पृष्ठ संख्याः 97

विषयः मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 817 / 2010 (एम0बी0) के कम में भूखण्ड संख्या–बी / 321 सेक्टर–बी महानगर के भू–उपयोग को "आवासीय" से "शैक्षिक, नर्सरी स्कूल" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

श्रीमती भारती गाँधी, निदेशक सिटी मान्टेसरी स्कूल द्वारा महानगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या-321 सेक्टर-बी पर प्राईमरी स्कूल के निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में आवासीय भवन के निर्माण हेतु नियत है, अतः तलपट मानचित्र के भू-उपयोग के विपरीत होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।

प्राधिकरण के निर्णय के विरूद्ध आवेदिका द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-817/2010 (एम0बी0) दायर की गयी। जिसपर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को दिनांकः 09.04.2010 को पक्ष को सुनने हेतु निर्देशित किया गया। सुलभ सन्दर्भ हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की छायाप्रति संलग्नक-1 अवलोकनार्थ अवस्थित है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांकः 09.04.2010 को याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना गया तथा सुनने के उपरान्त प्रश्नगत भूखण्ड पर नर्सरी स्कूल अनुमन्य किये जाने से पूर्व भूखण्ड के उपयोग को महानगर योजना के ले-आउट में आवासीय से "शैक्षिक, नर्सरी स्कूल" में परिवर्तित करने हेतु शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60एल.यू.सी./96 दिनांकः 13 अक्टूबर, 1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार समस्त तथ्यों के साथ विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांकः 09.04.2010 की छायाप्रति संलग्नक-2 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60एल.यू.सी./96 दिनांकः 13 अक्टूबर, 1998 के अनुसार ले-आउट में भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात संशोधन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित हैं एवं इस हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के समान ही प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्नगत भूखण्ड महानगर के तलपट मानचित्र में 100 फिट चौड़ी सड़क पर स्थित है। योजना का पार्ट तलपट मानचित्र संलग्नक-3 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

..2

प्रस्ताव-

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में महानगर योजना के सेक्टर-बी स्थित भूखण्ड संख्या-बी-321 क्षेत्रफल 870.14 वर्गमीटर के भू-उपयोग को तलपट मानचित्र में ''आवासीय'' से ''शैक्षिक, नर्सरी स्कूल'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण से सहमति की दशा में प्रस्ताव पर नियमानुसार जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उपरान्त इसे पुनः प्राधिकरण के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

20

D. K. Upadhyaya
मुख्य स्थायी अधिवक्ता

उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच
लखनऊ।
फोन न0 : (0522)-2619269
मो0 नं : 9415459141
फैक्स : (0522)-2622208

पत्रांक : 60
दिनांक : 8/4/10

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राप्ति संख्या 67620
दिनांक 8/4/2010

To,

The Vice Chairman,
Lucknow Development Authority,
Lucknow.

Dated: 08-04-2010

Subject: Writ Petion no. 817 (M/B) of 2010 (City Montessori School Vs. State of U.P. and others.

Sir,

The above captioned writ petition was listed on 08-04-2010 before the Lucknow Bench of Hon'ble High Court.

The Hon'ble High Court has been pleased to pass a detailed roder, a copy of which is being annexed alongwith this communication.

Kindly ensure the compliance of the order dated 08-04-2010.

(D.K. Upadhyaya)

Court No. - 21

Case :- MISC. BENCH No. - 817 of 2010

Petitioner :- City Montessori School Thru Founder Manager Jagdish Gandhi
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. Urban Planning & Dev. & Ors.
Petitioner Counsel :- S.L. Vaish
Respondent Counsel :- C.S.C.,D.R. Upadhyaya

Hon'ble Sibghat Ullah Khan,J.
Hon'ble Dr. Satish Chandra,J.

We have been informed that writ petition no.2160 (M.B.) of 2010 has been decided by another Division Bench of this court on 23rd March, 2010 and Lucknow Development Authority has been directed to pass fresh order regarding acceptance/rejection of the map of proposed constructions in the adjoining plot submitted by the petitioner-school. On the suggestion of the court, learned counsel for both the parties have agreed for hearing before Vice Chairman, L.D.A. tomorrow i.e. on 9.4.2010 at 10 A.M. It is hoped that decision in accordance with the judgment in the said writ petition would be taken by the Vice Chairman within ten days and its copy would promptly be supplied to the petitioner-school as well as his counsel in this writ petition.

Accordingly, list on 27.4.2010 at 10.15 A.M.

Stay order granted on 31.3.2010 is extended until 27.4.2010.

Order Date :- 8.4.2010
RS

23

297/S
9.4.10

पत्र सं० 182/सी0
दिनांक 15/4/10

कार्यालय उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक: 95/A-A-2010-11/10

दिनांक 9/4/10

: कार्यालय ज्ञाप :

मेरे द्वारा आज दिनांक 09.04.2010 को मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-817(एम/बी)2010 (सिटी माण्टेसरी स्कूल बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2010 के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री जगदीश गाँधी (फाउण्डर मैनेजर सिटी माण्टेसरी स्कूल) व इनके विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल प्राइमरी स्कूल हेतु निर्धारित क्षेत्रफल से कम है इस लिए अब वह इस भूखण्ड पर नर्सरी स्कूल का मानचित्र स्वीकृत कराने के इच्छुक हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड महानगर योजना के अनुमोदित तलपट मानचित्र में आवासीय उपयोग हेतु नियत है। अत: इस भूखण्ड पर नर्सरी स्कूल का मानचित्र अनुमन्य किये जाने से पूर्व प्रश्नगत भूखण्ड के उपयोग को महानगर योजना के ले-आउट में आवासीय से शैक्षिक नर्सरी स्कूल में परिवर्तित किया जाना होगा तथा इस हेतु शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल.यू.सी./96 दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही की जानी होगी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के आगामी बोर्ड बैठक में समस्त तथ्यों के साथ विस्तृत प्रस्ताव किया जाय, ले-आउट में नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् संशोधन करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत नर्सरी स्कूल के मानचित्र को जारी किया जायेगा। भू-उपयोग संशोधन की प्रत्याशा में तकनीकी समिति के समक्ष मानचित्र स्वीकृत किये जाने की अन्य औपचारिकतायें/प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावे। परन्तु Map भू-उपयोग ले-आउट में Change होने पर ही निर्गत होगा।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. मुख्य विधि परामर्शी
3. श्री रवि जैन, नगर नियोजक
4. श्री डी0के0 उपाध्याय, मुख्य शासकीय अधिवक्ता
5. श्री जगदीश गाँधी, फाउण्डर मैनेजर, सिटी माण्टेसरी स्कूल, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल

(शंभूनाथ बिन्द)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
12/4/10

9/04/10
(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

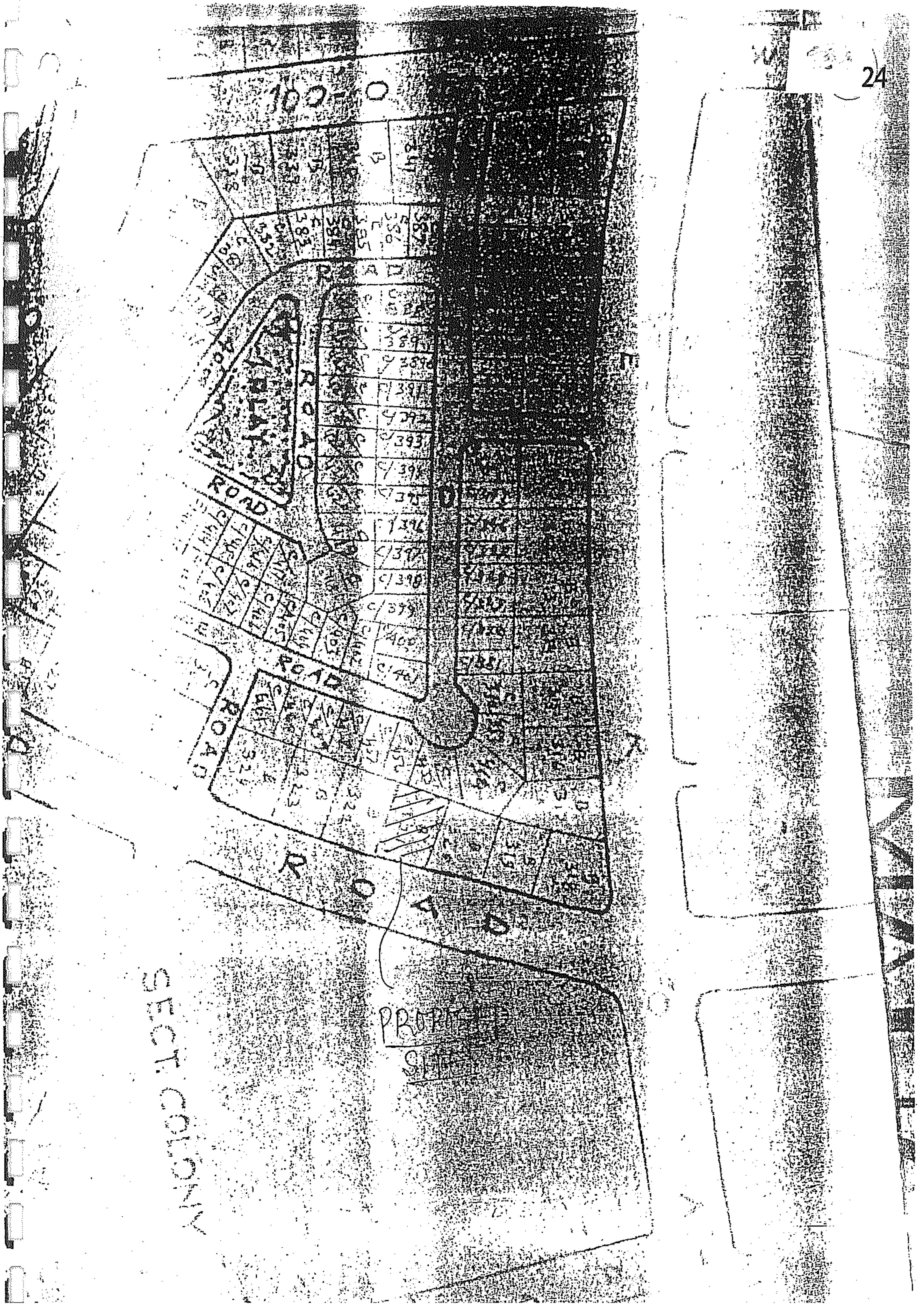
ROAD
SECT. COLONY

अनुलग्नक-2

Court No. - 21

Case :- MISC. SINGLE No. - 2822 of 2009

Petitioner :- City Montessori School Through Its Founder Manager
Respondent :- State Of U.P.Through Secy. To Govt. Deptt. Urban Planning
Petitioner Counsel :- S.L.Vaish,G.P.Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,D.K.Upadhya,Shailendra Singh Chauhan

Hon'ble Sibghat Ullah Khan,J.
Hon'ble Dr. Satish Chandra,J.

Learned counsel for both the parties state that persuant to our order dated 26.5.2010 objections/suggestions regarding change of land use were invited as required by Section 13 (3) of U.P. Urban Planning and Development Act 1973 through publication in the daily English newspaper 'The Pioneer' published from Lucknow and dainik Hindi newspaper 'Aaj' both dated 22.6.2010. Shri D.K. Upadhyay, learned counsel for Lucknow Development Authority yesterday stated that about 70 objections were received. We directed the learned counsel to obtain the copies of all the objections. Today Shri D.K.Upadhyay, learned counsel for LDA has stated that in-fact there are 87 objections/suggestions. Learned counsel has got photocopies of all these objections/suggestions. However, after going through all the objections on the direction of the court, learned counsel states that in each and every objection/suggestion (which we would like to term as communication), the request is that land use must positively be changed so that school may be built which will be beneficial for the students. All these communications have been sent in response to the advertisements dated 22.6.2010.

Accordingly, as in real sense absolutely no objection or suggestion has been received hence there is no need to issue any further notice to those persons who sent their views. The matter does not require any further hearing by L.D.A. We repeatedly asked Shri D.K. Upadhyay to tell us as to whether in any of the objections/suggestion (communication) there was a single line or a single word against the proposed change of land use or any suggestion regarding any restriction to be imposed while granting permission for change of land use. Learned counsel has categorically stated that neither there is any such objection nor any such suggestion.

We therefore, direct that L.D.A. must hold its meeting within two weeks for the purpose of considering the application of the petitioner, management of the City Montessori school for change of the land use.

As the time is running out hence it is hoped that under no circumstances holding of the meeting would be postponed.

List on 31.8.2010 at 3.55 P.M. Interim order which is operating till date shall remain in operation until next date of listing.

Let a copy of this order be given free of cost to Shri D.K.Upadhyay, learned standing counsel for L.D.A. by tomorrow.

Order date: 11.8.2010
RS

Authenticated Copy
12/08/10
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court, Lucknow Bench
LUCKNOW

अनुलग्नक-3

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO. 2822 (MS) OF 2009

City Montessori School,
Through its Founder Manager
Sri Jagdish Gandhi,
12, Station Road,
Lucknow

............Petitioner/Applicant

VERSUS

State of Uttar Pradesh;
Through
The Secretary to Government,
Department Urban Planning and Development.
Civil Secretariat,
Lucknow.

2. Chairman,
Lucknow Development Authority,
Lucknow.

3. Prescribed Authority,
Lucknow Development Authority,
Lucknow.

5. Commissioner,
U.P. Avas Evam Vikas Parishad Uttar Pradesh,
Mahatma Gandhi Marg,
Lucknow.

The Nagar Ayukt,
Lucknow Nagar Nigam,
Lucknow.

7. Neeraj Gupta
s/o Late Shri G.C. Gupta
r/o C-4/8, River Bank Colony,
Lucknow

.......Opp. Parties

Court no.3

writ Petition no. 2822 (M/S) of 2009

City Montessori School Vs. State of Uttar Pradesh and others

Hon'ble Shri Narayan Shukla,J.

Heard Mr. V.B.Upadhyaya, learned Senior Advocate assisted by Mr. S.L.Vaish, learned counsel for the petitioner,. Mr. D.K.Upadhyaya, learned Chief Standing counsel alongwith Mr. Anoop Asthana, learned counsel for the opposite parties 1 to 5 and Mr. Shailendra Singh, learned counsel for the opposite party no.6.

Issue notice to opposite party no.7 returnable at an early date.

Through the instant writ petition, the petitioner has challenged the various orders for demolition of unauthorised constructions made in front set back and rear set back issued by the Lucknow Development Authority, Lucknow.

Earlier under section 27 (1) of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 the proceeding was initiated against the petitioner by issuing show cause notice to him. After considering his reply, the Prescribed Authority passed the final order on 23.7.2002. The prescribed authority declared some of the portion constructed as unauthorised construction and issued order to demolish the said unauthorised construction. Being aggrieved with which the petitioner preferred an appeal bearing no. 105 /2001-02 before the Chairman , Lucknow Development Authority, Lucknow. The appellate authority decided the appeal by means of the order dated 31.1.2006 upholding the order passed by the prescribed authority, but keeping in view the interest of childrens' education as well as to provide some alternative accommodation to run the school, he directed the Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow to keep in abeyance the order passed by the prescribed authority till such alternative arrangement is made.

Keeping in view the aforesaid observation the Secretary, Lucknow Development Authority kept the order passed by the prescribed authority dated 23.7.2002 in abeyance. The appellate authority also issued direction to the L.D.A., Municipal Corporation as well as Uttar Pradesh Avas Vikas Parishad to cooperate in allotment of land for school building. Accordingly, the order passed by the prescribed authority has been kept in abeyance. Though there is claim and counter claim from both sides that pursuant to the order passed by the appellate authority, the petitioner did not take any steps for allotment of land or the authorities concerned did not consider it despite the application moved by the petitioner, but it is obvious that the controversy could not be settled finally between the parties.

Therefore, the Lucknow Development Authority further issued a show cause notice on 16.12.2008 under section 27 of the Act for demolition of unauthorised portion. The petitioner challenged the same through writ petition bearing no. 6382 (M/S) of 2008 before this Court. The petitioner also challenged the order dated 31.1.2006 passed by the appellate authority. This court by means of the order dated 21.12.2008 disposed of the writ petition with the following directions:-

"Considering the peculiar facts and circumstances of the case, the opposite parties are directed to decide the reply/objections to the show cause notice dated 16.12.2008 within one month from the date of receipt of it alongwith a certified copy of this order. The petitioner shall file reply/objection to the said show cause notice dated 16.12.2008 within one week from today. It will be open for the petitioner as well as Lucknow development Authority to suggest the piece of land for the institution. Till 30.4.2009, the demolition proposed with regard to the front and rear set backs shall be kept in abeyance".

Pursuant to the direction issued by this Court, the prescribed authority considered the matter again and since it arrived at the conclusion that through notice impugned the construction of some of the portion of the land was asked to demolish which was questioned in the earlier proceedings, it formed opinion that there was no need to pass any separate order for demolition into execution of the order passed by the prescribed authority, therefore, he revoked the notice by means of the order dated 20.5.2009 and issued direction to execute the order dated 23.7.2002 passed by the prescribed authority. The order passed on 20.5.2009 is also under challenge before this Court in the present writ petition, thus, still the parties are moving around the order passed by the prescribed authority on 23.7.2002.

By means of the order dated 23.7.2002 some of the portion of the unauthorized constructions has been permitted to be compoundable; whereas some of the portion which is not compoundable has been declared to be unauthorized construction, which is according to the prescribed authority liable to be demolished. The petitioner is well aware that it can be permitted to raise construction only in accordance with law, therefore, the petitioner has claimed his right to continue with the construction allegedly unauthorized under the exemption clause of Rule 11 of Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Rules, 1985. Since the learned Chief Standing Counsel disputes the application of the aforesaid rule, this question shall be adjudicated at the time of final hearing of the case.

After hearing the rival submissions of the learned counsel for the parties as

well as upon perusal of the records, I find that the prescribed authority through the order dated 23.7.2002 itself has observed that some of the unauthorized constructions is compoundable, therefore, keeping in view the observations made by the prescribed authority I hereby provide that the portion of unauthorised which is compoundable shall not be demolished by the authorities concerned in execution of the order passed by the prescribed authority. So far as the remaining area as alleged unauthorized is concerned, three months time is provided to the petitioner to remove the same. If he fails to remove that very portion within the period stipulated, the authorities concerned shall be at liberty to demolish the same just on the next day after expiry of three months from today for which no permission is required to be sought either from this court or from any of the authorities.

Keeping in view the interest of students studying in the school as well as the fact that after removing the construction as has been directed here-in-above, there will be no proper place to accommodate the whole students admitted in school, I hereby observe that the petitioner as well as the Vice-Chairman of the Lucknow Development Authority, Lucknow will sit together and search alternate to establish another branch of school to accommodate the surplus students and also to establish the building at the new place in the vicinity of the Lucknow Development Authority, as far as possible nearby to the present school building. The petitioner shall submit proposal of the area and land available thereat which shall be finalised by the authorities concerned with the consent of the petitioner.

The authorities are warned not to be care less and idle in the aforesaid exercise.

List after three months on 1st September, 2009.

27.5.09

G.S.Y.

Sd/- Shri Narayan Shukla
27-5-2009

29.5.09

29/5/09

TRUE COPY

Section Officer
Copying Department
(Pen...)
High Court Lucknow Bench
Lucknow

29/5/09

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH , LUCKNOW

WRIT PETITION NO. 2822 (MS) OF 2009

ABAD

City Montessori School,
Through its Founder Manager
Sri Jagdish Gandhi,
12, Station Road,
Lucknow

..........Petitioner/Applicant

VERSUS

State of Uttar Pradesh;
Through
The Secretary to Government,
Department Urban Planning and Development.
Civil Secretariat,
Lucknow.

2. Chairman,
Lucknow Development Authority,
Lucknow.

3. Prescribed Authority,
Lucknow Development Authority,
Lucknow.

5. Commissioner,
U.P. Avas Evam Vikas Parishad Uttar Pradesh,
Mahatma Gandhi Marg,
Lucknow.

The Nagar Ayukt,
Lucknow Nagar Nigam,
Lucknow.

7. Neeraj Gupta
s/o Late Shri G.C. Gupta
r/o C-4/8, River Bank Colony,
Lucknow

.......Opp. Parties

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

C.M. APPLICATION NO. 77648 OF 2009

IN

WRIT PETITION NO.2822 (M/S) OF 2009

City Montessori School ----------Petitioner/Applicant

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors --------------Opp. Parties

PRESENTED TODAY (FOR LISTING)

13 AUG 2009

APPLICATION ON BEHAF OF PETITIONER FOR MODIFICATION OF ORDER DATED 27.05.2009

Humble Petitioner/Applicant, named above, respectfully submits that for facts, circumstances and reasons stated in the accompanying writ petition it is prayed that the Hon'ble Court may graciously be pleased to:

(a) modify the order dated 27.05.2009 by permitting the petitioner/school to continue with non-compounding alleged unauthorised constructions made in House No. B-320, Kamal Kunj, Mahanagar used by school children till the additional space is created by erection of school building at the adjacent House No.B-321, Mahanagar purchased by the petitioner where students affected by this demolition may be shifted.

(b) direct the Opp. Parties Nos. 1 & 2 namely State of U.P.{through Principal Secretary (Housing), Govt. of U.P.} and Lucknow Development Authority,

Court No.3

C.M.application No. 77648 of 2009

In Re :Writ Petition No.2822 of 2009 (M/S)

City Montessori School Vs. State of Uttar Pradesh and others

Hon'ble Shri Narayan Shukla, J.

Heard Mr. V.B. Upadhyaya, leaned Senior Advocate assisted by Mr. S. L. Vaish, leaned counsel for the petitioner, Mr.D. K. Upadhyaya, learned Chief Standing counsel for opposite party Nos. 1 to 6as well as Mr. I. B.Singh learned Senior Advocate as intervenor on behalf of complainant/neighbour of the building in question.

On the basis of the report dated 22.12.2001 submitted by the neighbour to take action a proceeding under section 22 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 was initiated against the petitioner, that terminated into the order dated 23.07.2002, whereby the Secretary, Lucknow Development Authority observed that there was no option except to issue direction to demolish the front set back and rear set back constructed beyond the sanctioned map and accordingly issued the order to demolish the unauthorized portion of the building. Under the strength of the order dated 23.07.2002 when a notice was issued to the petitioner for demolition of unauthorized construction made in set back and rear set back, the petitioner approached this Court earlier through a writ petition bearing no. 6382 (M/S) of 2008 as well as the present writ petition also. This Court in the present writ petition by means of the order 27.05.2009 provided that "the portion of unauthorised which is compoundable shall not be demolished by the authorities concerned in execution of the order passed by the prescribed authority. So far as the remaining area as alleged unauthorised is concerned, three months' time is provided to remove the same. If he fails to remove that very portion within the period stipulated, the authorities concerned shall be at liberty to demolish the same just on the next day after expiry of three months from today."

Keeping in view the interest of the students studying in the school as well as the fact that there is no proper place to accommodate the whole students admitted in school this Court also observed that the petitioner as well as the Vice-Chairman of the Lucknow Development Authority, Lucknow would sit together and search alternate to establish another branch of School to accommodate the surplus students and also to establish the building at the new place in the vicinity of the Lucknow Development Authority, as far as possible nearby to the present school building.

Today three months' period provided for removal of unauthorized construction is expiring. On the basis of certain new facts the petitioner has moved the present application for modification of the order passed on 27.05.2009 to the effect that he may be permitted to continue with non-compounding alleged unauthorized constructions made in House No.B-320, Kamal Kunj, Mahanagar used by School children till the additional space is created by erection of school building at the adjacent House No. B-321, Mahanagar purchased by the petitioner.

Through the affidavit filed in support of this application, it has been submitted that

pursuant to the direction issued by this court on 27.5.09 the petitioner written a letter to the Development Authorities to allot some plot to him but the same has not acceded to the authorities and the petitioner has managed to get executed a sale deed of plot No. B-321, which is adjacent to the petitioner for construction of building.

In the aforesaid background, he submits that the petitioner may be accommodated by providing some relaxation for demolition of the said unauthorized construction in the interest of justice so that he may create space for the students and establish the School.

Through the supplementary affidavit filed by the petitioner, the petitioner has brought the facts to the notice of this Court that under the order passed by the Secretary, Lucknow Development Authority on 23.07.2002 the front set back of the building in question has been demolished by the authority itself and only the question for demolition of rear set back of school building is there as has been observed by the authorities concerned.

The order passed by the Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow on 22.08.2009 has been placed before this Court, whereby the petitioner's application for compounding of compoundable area of the alleged unauthorised construction has been rejected on the ground that the compoundable as well as non-compoundable area have been demarcated and even some of the area is compoundable, but in the present case compounding is not possible. Accordingly, under the strength of the order dated 22.8.09 the whole unauthorised construction either compoundable or non compoundable is to be demolished.

The order dated 19.08.2009 passed by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow has also been brought to the notice of this Court, whereby the sale deed of plot No. B-321 has been taken note of and the petitioner has been permitted to submit the map for its sanction, which can be considered in accordance with law.

The Vice Chairman, Lucknow Development Authority, since no place is available in Mahanagar area offered another place for establishment of school in other areas i.e. Gomti Nagar, Ali Ganj, Gomati Nagar Extension and Kanpur Road Scheme, but keeping in view the fact that the petitioner has purchased the land here the question is whether it can be provided some relaxation in demolishing the unauthorised construction or not.

So far as the running of the School in the residential area is concerned, the objection has also been raised by the learned counsel for the opposite parties that in the residential area the school cannot be permitted to be run in the light of the Master Plan, 2021. Learned counsel for the petitioner produced a Master Plans, 2001 and 2021, upon perusal of which, I find that there is no restriction for running Primary School and Secondary School in the residential area subject to permission of authorities concerned. Under the circumstances, it cannot be said that under the Master Plan the Primary School as well as Secondary School cannot be run in the residential area.

This fact has also been brought to the notice of this Court that apart from the present school the petitioner is running three more schools in the residential area, but no objection has been raised by the authority concerned against the same.

pursuant to the direction issued by this court on 27.5.09 the petitioner written a letter to the Development Authorities to allot some plot to him but the same has not acceded to the authorities and the petitioner has managed to get executed a sale deed of plot No. B-321, which is adjacent to the petitioner for construction of building.

In the aforesaid background, he submits that the petitioner may be accommodated by providing some relaxation for demolition of the said unauthorized construction in the interest of justice so that he may create space for the students and establish the School.

Through the supplementary affidavit filed by the petitioner, the petitioner has brought the facts to the notice of this Court that under the order passed by the Secretary, Lucknow Development Authority on 23.07.2002 the front set back of the building in question has been demolished by the authority itself and only the question for demolition of rear set back of school building is there as has been observed by the authorities concerned.

The order passed by the Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow on 22.08.2009 has been placed before this Court, whereby the petitioner's application for compounding of compoundable area of the alleged unauthorised construction has been rejected on the ground that the compoundable as well as non-compoundable area have been demarcated and even some of the area is compoundable, but in the present case compounding is not possible. Accordingly, under the strength of the order dated 22.8.09 the whole unauthorised construction either compoundable or non compoundable is to be demolished.

The order dated 19.08.2009 passed by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow has also been brought to the notice of this Court, whereby the sale deed of plot No. B-321 has been taken note of and the petitioner has been permitted to submit the map for its sanction, which can be considered in accordance with law.

The Vice Chairman, Lucknow Development Authority, since no place is available in Mahanagar area offered another place for establishment of school in other areas i.e. Gomti Nagar, Ali Ganj, Gomati Nagar Extension and Kanpur Road Scheme, but keeping in view the fact that the petitioner has purchased the land here the question is whether it can be provided some relaxation in demolishing the unauthorised construction or not.

So far as the running of the School in the residential area is concerned, the objection has also been raised by the learned counsel for the opposite parties that in the residential area the school cannot be permitted to be run in the light of the Master Plan, 2021. Learned counsel for the petitioner produced a Master Plans, 2001 and 2021, upon perusal of which, I find that there is no restriction for running Primary School and Secondary School in the residential area subject to permission of authorities concerned. Under the circumstances, it cannot be said that under the Master Plan the Primary School as well as Secondary School cannot be run in the residential area.

This fact has also been brought to the notice of this Court that apart from the present school the petitioner is running three more schools in the residential area, but no objection has been raised by the authority concerned against the same.

After considering the submissions made by Mr. I.B.Singh, learned Senior Advocate who has been permitted to appear as intervenor, it appears that dispute arose on the complaint made by one neighbour in 2001. Thereafter, the authorities proceeded to take action against the petitioner; whereas it is not in dispute that the school has been running since 1983.

After considering the rival submissions of the learned counsel for the parties as well as the perusal of the record, I am of the considered view that running of the school in the residential area is not prohibited under any law.

The question is whether the petitioner can be permitted to maintain the unauthorised construction of the building in question till the creation of space for the surplus students by erecting the building on the purchased plot?. No doubt as per determination made by the authorities concerned there is some unauthorised construction which is observed as non-compoundable, but now the Secretary, Lucknow Development Authority has passed the order dated 22.8.2009 that the total unauthorised construction either compoundable or non compoundable is liable to be demolished. I cannot loose sight of the fact that the neighbour, who is facing problem has come forward against the petitioner, but keeping in view the fact that the school has been running since 1983 and is not prohibited under Master Plan and the petitioner has also searched alternative place by purchasing another adjacent house No. B-321, moreso he undertakes to complete necessary construction of the said plot before starting the next session and the students are in the mid of session, I hereby permit the petitioner to maintain the construction as on today till the next session starts and immediately thereafter he shall demolish the unauthorised construction. To this extent, I hereby modify the order passed by this Court on 27.5.2009. I further provide that if the petitioner is aggrieved with the order dated 22.8.2009 passed by the Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow, he is at liberty to challenge the same before the appropriate forum.

Accordingly, the application is allowed.

26.8.09

Sd/- Shri Narayan Shukla
26-8-09

TRUE COPY

Section Officer 31/8/09
Copying Department
(Pending)
High Court, Lucknow Bench
Lucknow

अनुलग्नक-4

(48)

36

24 INTERNATIONAL EVENTS BY CMS IN 2007-2008

(1) 8th Commonwealth Youth Conference
March 2007
by CMS Gomti Nagar Branch
www.cmseducation.org/commonwealth

(2) 1st International Conference of Pre-Primary Principals
23rd, 24th, 25th April 2007
by Quality Assurance and Inspection Deptt.
www.cmseducation.org/icppp

(3) 1st International Students Science Fair
4th to 8th August 2007
by CMS Mahanagar (New Building)
www.cmseducation.org/issf

(4) 13th COFAS INTERNATIONAL
24th to 27th August, 2007
by CMS Station Road Branch
www.cmseducation.org/cofas

(5) Educational Technology Development Programme (ETDP)
31st August to 2nd September, 2007
by CMS Kanpur Road Branch
www.cmseducation.org/etdp

(6) 3rd ODYSSEY-International Literary Fest
8th to 11th September, 2007
by CMS Mahanagar Branch (Old Buldg.)
www.cmseducation.org/litfest

(7) 2nd GLOBAL TIE CONFERENCE
(Global Trends and Innovations in Education)
11th to 14th October, 2007
by CMS Innovations Department
www.globaltie.net

(8) 2nd International Innovations Day
15th October, 2007 (Birthday of President of India Dr APJ Abdul Kalam)
by CMS Jopling Road Branch
www.cmseducation.org/iid

(9) 9th World Peace Festival & International Peace Poster & Quilt Competition
26th to 28th October, 2007
hosted by CMS Indira Nagar Branch
www.cmseducation.org/peace

(10) 1st WIZMIC
27th October to 1st November 2007
Wizards at Mathematics International Contest
by CMS RDSO Branch, Lucknow
Website: www.cmseducation.org/wizmic

(11) 6th GEOFEST International
3rd to 6th November, 2007
by CMS Mahanagar Branch (3rd Bldg.)
www.cmseducation.org/geofest

(12) 5th International Youth Fest
4th November 2007
by CMS Rajajipuram Branch
www.cmseducation.org/iyf

(13) 7th SAARC Youth Festival & Competitions
14th November, 2007
by CMS Rajendra Nagar Branch
www.cmseducation.org/saarc

(14) 13th QUANTA International 2007
14th to 18th November, 2007
by CMS Chowk Branch
www.cmseducation.org/quanta

(15) 7th International Astronomy Olympiad
19th and 20th November, 2007
by CMS Chowk Branch
www.cmseducation.org/quanta

(16) 8th EUREKA International 2007
24th to 27th November 2007
by CMS Anand Nagar Branch
www.cmseducation.org/eureka

(17) 10th International Convention on Students' Quality Control Circles
28th Nov. to 1st Dec., 2007
by CMS Kanpur Road Branch
www.cmseducation.org/icsqcc

(18) 8th International Conference of Chief Justices of the World
6th to 12th December, 2007
by CMS World Unity and Peace Edu. Deptt.
www.cmseducation.org/article51

(19) 6th CELESTA International 2007
17th to 21st December, 2007
by CMS Aliganj Branch
www.cmseducation.org/celesta

(20) 14th CISV Children's International Summer Villages
28th Dec. 2007 to 24th Jan. 2008
by CMS Inspection Department
www.cmseducation.org/cisv

(21) 8th MACFAIR International
10th to 13th August 2008
by CMS Mahanagar (New Building),
Website: www.cmseducation.org/macfair

(22) 6th EXSPO International Sport
27th October to 1st November, 2008
by CMS RDSO Branch
www.cmseducation.org/exspo

(23) 3rd International Young Mathematicians' Convention
1st to 4th December, 2008
by CMS Gomti Nagar Branch
www.cmseducation.org/iymc

(24) ISSE International School-to-School Experience
by CMS Inspection Department
www.cmseducation.org/isse

WORLD'S LARGEST SCHOOL IN A SINGLE CITY

CITY MONTESSORI SCHOOL, LUCKNOW

HEAD OFFICE: 12, Station Road, Lucknow 226001 (INDIA)
Phones : +91-522-2638738, 2638483, 2638606 Website : http://www.cmseducation.org
Fax : +91-522-2638008, 2635497 E-Mail : info@cmseducation.org

CMS: Self-appointed Guardian of world's two billion children and generations yet-to-be-born; Striving for World Unity and World Peace since 1959; Recipient of (i) UNESCO Prize for Peace Education 2002 (ii) Nuclear-Free Future Special Achievement Award 2004 (iii) World's Children's Prize 2004 for Rights of the Child (iv) Changemakers Innovations Award 2005 & Recognized by Guinness Book of World Records as world's largest school by pupils with over 32,000 students & organiser of 24 international events for promoting World Unity and World Peace

उपाध्यक्ष

२०/१०/२००७

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

आदरणीय महोदय,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सिटी मोन्टेसरी स्कूल की भवन संख्या ३२० बी, कमल कुन्ज स्थित महानगर, लखनऊ में स्थित विद्यालय भवन के अस्थायी टीन शेड के निर्माण को तोड़ने से रोकने के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज, लखनऊ द्वारा दिये गये दो स्टे आदेश की प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। श्रीमान न्यायालय द्वारा दिया गया प्रथम स्टे आदेश दिनांक २१/११/२००७ तथा द्वितीय स्टे आदेश दिनांक १८/१२/२००७ तक के लिए प्रभावी है।

महोदय, यह अस्थायी टीन शेड किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं बना है। यह विद्यालय की चारदिवारी के भीतर बना हैं। आम जनता के आवागमन में इस टीन शेड से किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। अस्थायी टीन शेड को मेधावी छात्रों की सुविधा के लिए निर्मित किया गया है। श्री आर०के० मित्तल, पूर्व आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा भी मेधावी छात्रों की पढ़ाई को दृष्टि में रखते हुए इस विद्यालय के टीन शेड की यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में पूर्व में आदेश दिया गया है।

जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि श्री एस० के० सिंह, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा टीन शेड के निर्माण को तोड़ने की तैयारी हो रही है।

हमारा आपसे विनम् निवेदन है कि उपरोक्त भवन में हाई स्कूल (आई०सी०एस०ई०) तथा इण्टर (आई०एस०सी०) बोर्ड परीक्षाओं के लगभग १००० मेधावी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन छात्रों की परीक्षायें होने में अभी लगभग ४ महीने का समय शेष है। इस कारण इन दिनों ये सभी मेधावी छात्र पूरी एकाग्रता से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। हमारे विद्यालय की यह शाखा अन्य शाखाओं की तुलना में रिजल्ट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ शाखा है जिसमें देश के मेधावी छात्रों द्वारा शिक्षा ग्रहण की जा रही है।

CMS BRANCH TELEPHONES

R. N. (UPIL) 2690328	Station Road 2636607	RDSO 2453546	Aliganj (Sec'O') 2326882	Jopling Road 2207747	CMS Kanpur Road 2435690
R. N. (304) 2591895	Mahanagar (OB) 2384345	Chowk 2254778	Aliganj (OB) 2323343	Aminabad 2624375	CMS Girls Degree College 2435342
R. N. (NB) 2693882	(NB) 2384730	Rajajipuram (OB) 2418425	Indira Nagar 2351887	Asharfabad 2262013	Head Office 2637655,
Gomti Nagar 2394740	(3rd) 2385460	Rajajipuram (NB) 2414737	Anand Nagar 2455332	Inspection Dept 2638733	2637656, 2638738, 2638483, 2638606

(117)

WORLD'S LARGEST SCHOOL IN A SINGLE CITY

CITY MONTESSORI SCHOOL, LUCKNOW

HEAD OFFICE: 12, Station Road, Lucknow 226001 (INDIA)

Phones : +91-522-2638738, 2638483, 2638606 Website : http://www.cmseducation.org
Fax : +91-522-2638008, 2635497 E-Mail : info@cmseducation.org

CMS: Self-appointed Guardian of world's two billion children and generations yet-to-be-born; Striving for World Unity and World Peace since 1959; Recipient of (i) UNESCO Prize for Peace Education 2002 (ii) Nuclear-Free Future Special Achievement Award 2004 (iii) World's Children's Prize 2004 for Rights of the Child (iv) Changemakers Innovations Award 2005 & Recognized by Guinness Book of World Records as world's largest school by pupils with over 32,000 students & organiser of 24 international events for promoting World Unity and World Peace

JAI JAGAT
CMS

24 INTERNATIONAL EVENTS BY CMS IN 2007-2008

(1) 8th Commonwealth Youth Conference
[illegible]th March 2007
by CMS Gomti Nagar Branch
www.cmseducation.org/commonwealth

(2) 1st International Conference of Pre-Primary Principals
23rd, 24th, 25th April 2007
by Quality Assurance and Inspection Deptt.
www.cmseducation.org/icppp

(3) 1st International Students Science Fair
4th to 8th August 2007
by CMS Mahanagar (New Building)
www.cmseducation.org/issf

(4) 13th COFAS INTERNATIONAL
24th to 27th August, 2007
by CMS Station Road Branch
www.cmseducation.org/cofas

(5) Educational Technology Development Programme (ETDP)
31st August to 2nd September, 2007
by CMS Kanpur Road Branch
www.cmseducation.org/etdp

(6) 3rd ODYSSEY-International Literary Fest
8th to 11th September, 2007
by CMS Mahanagar Branch (Old Buldg.)
www.cmseducation.org/litfest

(7) 2nd GLOBAL TIE CONFERENCE
(Global Trends and Innovations in Education)
11th to 14th October, 2007
by CMS Innovations Department
www.globaltie.net

(8) 2nd International Innovations Day
15th October, 2007 (Birthday of President of India Dr APJ Abdul Kalam)
by CMS Jopling Road Branch
www.cmseducation.org/iid

(9) 9th World Peace Festival & International Peace Poster & Quilt Competition
26th to 28th October, 2007
hosted by CMS Indira Nagar Branch
www.cmseducation.org/peace

(10) 1st WIZMIC
27th October to 1st November 2007
Wizards at Mathematics International Contest
by CMS RDSO Branch, Lucknow
Website: www.cmseducation.org/wizmic

(11) 6th GEOFEST International
3rd to 6th November, 2007
by CMS Mahanagar Branch (3rd Bldg.)
www.cmseducation.org/geofest

(12) 5th International Youth Fest
4th November 2007
by CMS Rajajipuram Branch
www.cmseducation.org/iyf

(13) 7th SAARC Youth Festival & Competitions
14th November, 2007
by CMS Rajendra Nagar Branch
www.cmseducation.org/saarc

(14) 13th QUANTA International 2007
14th to 18th November, 2007
by CMS Chowk Branch
www.cmseducation.org/quanta

(15) 7th International Astronomy Olympiad
19th and 20th November, 2007
by CMS Chowk Branch
www.cmseducation.org/quanta

(16) 8th EUREKA International 2007
24th to 27th November 2007
by CMS Anand Nagar Branch
www.cmseducation.org/eureka

(17) 10th International Convention on Students' Quality Control Circles
20th Nov. to 1st Dec., 2007
by CMS Kanpur Road Branch
www.cmseducation.org/icsqcc

(18) 8th International Conference of Chief Justices of the World
6th to 12th December, 2007
by CMS World Unity and Peace Edu. Deptt.
www.cmseducation.org/article51

(19) 6th CELESTA International 2007
17th to 21st December, 2007
by CMS Aliganj Branch
www.cmseducation.org/celesta

(20) 14th CISV Children's International Summer Villages
28th Dec. 2007 to 24th Jan. 2008
by CMS Inspection Department
www.cmseducation.org/cisv

(21) 8th MACFAIR International
10th to 13th August 2008
by CMS Mahanagar (New Building),
Website: www.cmseducation.org/macfair

(22) 6th EXSPO International Sport
27th October to 1st November, 2008
by CMS RDSO Branch
www.cmseducation.org/exspo

(23) 3rd International Young Mathematicians' Convention
1st to 4th December, 2008
by CMS Gomti Nagar Branch
www.cmseducation.org/iymc

(24) ISSF International School-to-School Experience
by CMS Inspection Department
www.cmseducation.org/isse

हमारे विद्यालय की नीति अपने स्वयं के जमीन पर एक भव्य बिल्डिंग में अपना विद्यालय चलाने की सदैव रही है। इस श्रृंखला में हमने गोमती नगर, कानपुर रोड, अलीगंज, राजाजीपुरम तथा राजेन्द्र नगर में बड़े विद्यालय भूखण्ड लेकर भव्य विद्यालय भवन निर्मित किये हैं। विद्यालय की उक्त महानगर शाखा के लिए भी बड़े भूखण्ड को प्राप्त करने के लिए हम जोरदार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा भूखण्ड प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। हम बड़े भूखण्ड को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए प्रयासरत है। ताकि उस पर भव्य विद्यालय भवन शीघ्र बना सके। नया विद्यालय भवन निर्मित हो जाने के बाद अस्थायी टीन शेड को हटाने के कारण मेधावी छात्रों की पढ़ाई की कोई क्षति नहीं होगी।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि हमारे विद्यालय में बने इस टीन शेड को तोड़ा जाता है तो एक ओर विद्यालय भवन में शिक्षा ग्रहण कर रहे लगभग १००० मेधावी छात्रों की पढ़ाई पर इसका प्रभाव पड़ेगा वही दूसरी तरफ माननीय न्यायालय तथा पूर्व आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों की भी अवमानना होगी।

अत: महोदय से विनम्र निवेदन है कि छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय न्यायालय तथा पूर्व आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये आदेशों का सम्मान करते हुए विद्यालय के टीन शेड को तब तक तोड़ा न जाये जब तक कि विद्यालय को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में आवश्यक जमीन मिलने के उपरान्त उस जमीन पर विद्यालय का अपना भवन न बन जायें।

इस कृपा के लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।

सम्मान सहित,

भवदीय

जगदीश गांधी

(जगदीश गांधी)

प्रबन्धक

संलग्न :- उपरोक्त दोनों स्टे आदेशों की फोटो कापी

2.4 सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य उपयोगों / कियाओं हेतु मानक

2.4.1	सुविधाओं हेतु मानक	सामुदायिक सुविधाओं हेतु निम्न मानकों के अनुसार प्राविधान किए जायेंगे:–

क्र.सं.	मुख्य श्रेणी	उप–श्रेणी	मानक	न्यूनतम क्षेत्रफल
1.	शैक्षिक सुविधाएं	• नर्सरी स्कूल	2500 जनसंख्या पर–1	500 वर्गमीटर
		• प्राइमरी स्कूल	5000 जनसंख्या पर–1	1000 वर्गमीटर
		• जूनियर हाईस्कूल / हाईस्कूल	7500 जनसंख्या पर–1	2000 वर्गमीटर
		• इण्टर कालेज	10000 जनसंख्या पर–1	4000 वर्गमीटर
		• डिग्री कालेज / पोस्ट ग्रेजुएट कालेज	80,000 से 1,00,000 जनसंख्या पर–1	नगरीय क्षेत्र–5000 वर्गमीटर ग्रामीण क्षेत्र–10000 वर्गमीटर टिप्पणी:–महिला डिग्री कालेज के लिए उपरोक्त का 50 प्रतिशत।
		• इन्जीनियरिंग कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	2.0 हेक्टे.–मेट्रो नगरों में 4.0 हेक्टे.–अन्य नगरों में
		• मेडिकल कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	10.0 हेक्टेयर
		• डेन्टल कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	2.0 हेक्टेयर
2.	चिकित्सा सुविधाएं	• स्वास्थ्य केन्द्र	15000 जनसंख्या पर–1	800 वर्गमीटर
		• बाल कल्याण एवं प्रसूति गृह	45000 जनसंख्या पर–1	2000 वर्गमीटर
		• सामान्य चिकित्सालय (न्यनतम 100 शैय्याओं का)	100000 जनसंख्या पर–1	2 हेक्टेयर
3.	दूर संचार सुविधाएं एवं अन्य सेवाएं	• उप–डाकघर	10,000 जनसंख्या पर–1	100 वर्गमीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो।
		• टेलीफोन एक्सचेंज	1,00,000 जनसंख्या पर–1	4000 वर्गमीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो।

विषय: लखनऊ विकास क्षेत्र में नगर पंचायत काकोरी को सम्मिलित किये जाने तथा ग्राम मेमौरा को डिनोटिफाई किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

आख्या:

शासन की अधिसूचना सं0—174 / आठ—6—09—01गठन / 04, दिनांक 27.01.09 द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया है तथा इसके अन्तर्गत 197 नये ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विस्तारित विकास क्षेत्र की महायोजना की संरचना का कार्य सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग लखनऊ द्वारा किया जा रहा है तथा विस्तारित क्षेत्र का सेटेलाइट डाटा के आधार पर बेसमैप तैयार किया गया है।

सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ द्वारा पत्र सं0—1071 / लखनऊ विस्तारित क्षेत्र / म0यो0 / ल0ख0 / 2010—11 दिनांक 09.08.10 (अनुलग्नक—1) के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि सेटेलाइट डाटा आधारित बेसमैप में पूर्व में स्वीकृत लखनऊ महायोजना जिसमें पूर्ण विकास क्षेत्र दर्शाया गया है, को सुपर इम्पोज करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि काकोरी नगर पंचायत न तो पूर्व घोषित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है और न ही विस्तारित क्षेत्र के 197 ग्रामों में सम्मिलित है जबकि अधिसूचना सं0—194 दिनांक 27.01.09 के अन्तर्गत काकोरी नगर पंचायत के पश्चिम में स्थित ग्राम विकास क्षेत्र में सम्मिलित हैं। उनके द्वारा उक्त के दृष्टिगत यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में काकोरी नगरीय क्षेत्र घोषित है एवं नगरीय क्षेत्र का विस्तार भी स्वाभाविक रूप से हुआ है, अतः नियोजन की दृष्टि से काकोरी नगर क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भी महायोजना में दिये जाने व्यावहारिक दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होते हैं। चूँकि विकास क्षेत्र में अन्तर्गत काकोरी नगर क्षेत्र अधिसूचित नहीं है, अतः इस क्षेत्र में दिये महायोजना के प्रस्ताव वैधानिक नहीं होंगे। सहयुक्त नियोजक, लखनऊ द्वारा नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा भी अपने पत्रांक—1169 / व0नि0(3) / लखनऊ विस्ता0 क्षे0 महा0 / 2010—11, दिनांक 13.08.2010 (अनुलग्नक—2) द्वारा काकोरी नगर पंचायत क्षेत्र को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित करने को नितान्त आवश्यक बताया है।

इसके अतिरिक्त सहयुक्त नियोजक द्वारा अपने पत्र सं0—1100ल0 वि0क्षे0 / ल0ख0 / 2010—11, दिनांक 23.08.10 (अनुलग्नक—3) के माध्यम से यह अवगत कराया है कि अधिसूचित 197 ग्रामों में से 43 ग्राम लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) के अन्तर्गत भी अधिसूचित हैं। यदि लीडा

क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र से अलग किया जाता है तो उस दशा में ग्राम मेमौरा, परगना–बिजनौर, तहसील एवं जिला लखनऊ विकास क्षेत्र हेतु अधिसूचित ग्रामों की निरन्तरता में नहीं रहता है। ऐसी दशा में उचित होगा कि ग्राम मेमौरा को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित ग्रामों की सूची से डिनोटिफाइ करवा दिया जाय।

<u>प्रस्तावः</u>

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में लखनऊ विकास क्षेत्र में नगर पंचायत काकोरी को सम्मिलित किये जाने तथा ग्राम मेमोरा को डिनोटिफाई किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण के अनुमोदन की दशा में इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अनुलग्नक-1

74813/LK
12/8

कार्यालय सहयुक्त नियोजक,
लखनऊ सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,
एल.डी.ए. काम्पलेक्स, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ।

संख्याः 1071 /लखनऊ विस्तारित क्षेत्र/म.यो./ल.ख./2010–11 दिनांक 9 अगस्त ~~जुलाई~~, 2010

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

विषयः नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोकत विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार शासन की अधिसूचना संख्या–174/आ.–6–09–01 गठन/04 दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा किया गया है। विस्तारित क्षेत्र का सेटेलाईट डाटा के आधार पर वेसमैप तैयार किया जा रहा है। इस बेसमैप में पूर्व में स्वीकृत लखनऊ महायोजना जिसमें पूर्ण विकास क्षेत्र दर्शाया गया है, को सुपर इम्पोज करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि काकोरी नगर पंचायत न तो पूर्व में घोषित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है और न ही विस्तारित क्षेत्र के 197 ग्रामों में सम्मिलित है जबकि अधिसूचना संख्या 174 दिनांक 27 जनवरी, 2009 के अन्तर्गत काकोरी नगर पंचायत के पश्चिम स्थित ग्राम विकास क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

वर्तमान में काकोरी नगरीय क्षेत्र घोषित है एवं नगरीय क्षेत्र का विस्तार भी स्वाभाविक रूप से होगा। इस सम्बन्ध में नियोजन की दृष्टि से काकोरी नगर क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भी महायोजना में दिये जाने व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होते हैं। विकास क्षेत्र के अन्तर्गत काकोरी नगर क्षेत्र अधिसूचित न होने के कारण इस क्षेत्र में दिये महायोजना के प्रस्ताव वैधानिक नहीं होंगे। अतः अनुरोध है कि कृपया नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्यवीर सिंह दलाल)
सहयुक्त नियोजक

प्रतिलिपिः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सत्यवीर सिंह दलाल)
सहयुक्त नियोजक

(658) 1177/HDP/
17-8-10 74938/L
16/8/10

अनुलग्नक-2

महत्वपूर्ण/आवश्यक

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

7—बन्दरियाबाग, लखनऊ

पत्रांक:169 /व.नि.(3)/लखनऊ विस्ता. क्षे.महा./2010—11 दिनांक: 13 अगस्त, 2010

सेवा में,

उपाध्यक्ष,,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय: नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सहयुक्त नियोजक, लखनऊ के पत्रांक 1071/लखनऊ विस्तारित क्षेत्र/म.यो./ल.ख./2010—11 दिनांक 09 अगस्त, 2010, जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. आप अवगत हैं कि लखनऊ के विस्तारित क्षेत्र की महायोजना का प्रारूप दिनांक 16.08.2010 तक तैयार किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

3. अतः अनुरोध है कि नगर पंचायत काकोरी को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को तत्काल प्रेषित किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Verma
13.8.10
(एन.आर. वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

<u>पत्रांक तथा दिनांक :तदैवः</u>

प्रतिलिपि—सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 1071, दिनांक 09.08.2010 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Verma
13.8.10
(एन.आर. वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

अनुलग्नक-3

1245 HP/10
26.8.10

43

सं० 75420
दिनांक 25/08/2010

कार्यालय सहयुक्त नियोजक,

सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,
एल.डी.ए. शापिंग कॉम्पलेक्स, प्रथम–तल, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ।

पत्रांक : 1100 ल.वि.क्षे./ल0ख0/2010–11 दिनांक : 23.8.010

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय: लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्राम मेमौरा, परगना–बिजनौर, तहसील एवं जिला लखनऊ को विकास क्षेत्र से डिनोटिफाइ करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध अवगत कराना है कि लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार शासन की अधिसूचना संख्या–174/आ–6–09–01गठन/04 दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अधिसूचित 197 ग्रामों में से 43 ग्राम लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण(लीडा) के अन्तर्गत भी अधिसूचित हैं। यदि लीडा क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र से अलग किया जाता है तो उस दशा में ग्राम मेमौरा, परगना –बिजनौर, तहसील एवं जिला लखनऊ विकास क्षेत्र हेतु अधिसूचित ग्रामों की निरन्तरता में नहीं रहता है। ऐसी दशा में उचित होगा कि ग्राम मेमौरा को लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचित ग्रामों की सूची से डिनोटिफाइ करवा दिया जाय।

अतः अनुरोध है कि कृपया ग्राम मेमौरा, परगना–बिजनौर, तहसील एवं जिला लखनऊ को लखनऊ विकास क्षेत्र से डिनोटिफाइ किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एस0 दलाल)
सहयुक्त नियोजक,

पृ0पत्रांक तथा दिनांक : तदैव :

प्रतिलिपि-- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्यालय, लखनऊ।

(एस0एस0 दलाल)
सहयुक्त नियोजक,

विषय: गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-6 के अन्तर्गत "अपना घर" आवासीय योजना के ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के चार मंजिले भवनों के निर्माण हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

आख्या:

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-6 के अनुमोदित तलपट मानचित्र में 220 के0वी0 सब-स्टेशन से सलंग्न 45 मीटर रोड पर विभिन्न आकार की भूखण्डों हेतु नियोजित पाकेट में 2 स्थलों, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 पर स्थित मानचित्र में दिया गया है, में अतिक्रमण था, फलस्वरूप इन स्थलों पर प्रस्तावित भूखण्डों का विकास एवं आवंटन न किया जा सका।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 13.10.2008 के अनुपूरक विषय संख्या-3 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि भूमि की उपलब्धता में हो रही उत्तरोत्तर कमी तथा कृषि योग्य भूमि को लेकर भूमि स्वामियों के प्रतिरोध आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रधिकरण द्वारा बहुमंजिले आवासीय भवनों का ही निर्माण किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को अफोर्डेबल आवास उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से "अपना घर" आवासीय योजना के नाम से पंजीकरण खोले गये थे जिसके अन्तर्गत 4 मंजिले भवन उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित हैं। गोमती नगर विस्तार योजना में इन भवनों की अत्यधिक मांग है, जब की भूमि की उपलब्धता कम है। अतः उपर्युक्त वर्णित भूखण्डीय विकास, जिस पर अतिक्रमण के कारण अभी तक विकास एवं निर्माण कार्य नहीं हो पाया है तथा भूखण्ड भी आवंटित नहीं है, पर "अपना घर" आवासीय योजना के बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु तलपट मानचित्र में तद्नुसार संशोधन किया जाना होगा।

<u>प्रस्तावः</u>

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-6 में 220 के0वी0 सब-स्टेशन से संलग्न भूखण्डीय विकास की पाकेट में संलग्न मानचित्र में चिन्हित स्थल पर "अपना घर" आवासीय योजना के 4 मंजिले आवासों के निर्माण हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक - 1

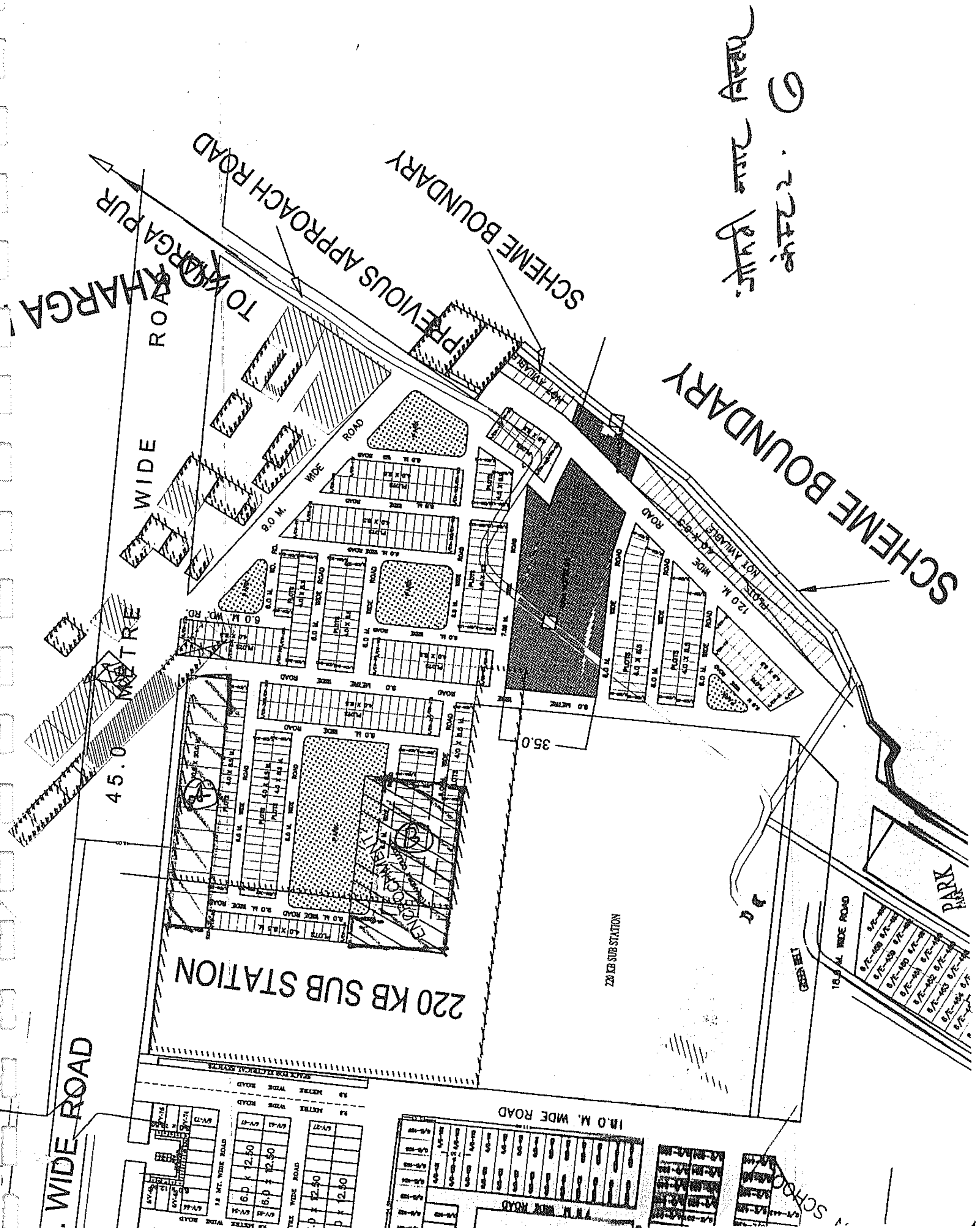
SCHEME BOUNDARY
PREVIOUS APPROACH ROAD
SCHEME BOUNDARY
220 KB SUB STATION
220 KB SUB STATION
18.0 M. WIDE ROAD
35.0
45.0 METRE WIDE ROAD
WIDE ROAD
PARK
9.0 M. WIDE ROAD
12.0 M. WIDE ROAD
NOT AVAILABLE

विषय: हरदोई रोड स्थित बसन्त कुंज योजना के सेक्टर 'ओ' व 'एन' के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

आख्या:

हरदोई रोड योजना स्थित बसन्त कुंज के सेक्टर -'ओ' व 'एन' के तलपट मानचित्र क्रमशः वर्ष 2006 व 2005 में अनुमोदित किये गये थे तथा उनके अन्तर्गत विभिन्न आकार के क्रमशः 653 एव 668 भूखण्ड का नियोजन किया गया था।

इन तलपट मानचित्रों के आधार पर विभिन्न आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटित किये गये परन्तु किसानों से प्रतिकर सम्बन्धी विवाद होने के कारण स्थल पर विकास कार्य अपूर्ण है एवं किसी भी आवंटी के पक्ष में अभी तक विक्रय अभिलेख निष्पादित नहीं है।

सम्पत्ति अनुभाग के अभिलेखों के अनुसार वर्तमान में सेक्टर 'ओ' में पूर्व तलपट मानचित्र के अनुसार नियोजित 653 भूखण्डों के सापेक्ष 464 तथा सेक्टर 'एन' में 668 भूखण्ड के सापेक्ष 276 आवंटी ही उपलब्ध है।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 13.10.2008 के अनुपूरक विषय संख्या-3 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि भूमि की उपलब्धता में हो रही उत्तरोत्तर कमी तथा कृषि योग्य भूमि को लेकर भूमि स्वामियों के प्रतिरोध आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रधिकरण द्वारा बहुमंजिली आवासीय भवनों का ही निर्माण किया जाए।

चूँकि दोनों ही सेक्टर्स में किसानों से प्रतिकर का विवाद होने के कारण विकास कार्य नहीं कराए गये है एवं भविष्य में प्राधिकरण स्तर से भूखण्डीय विकास न कर बहुमंजिली भवनों का निर्माण किया जाना है, अतः उपर्युक्त सेक्टर्स में आवंटित भूखण्डों को एक पाकेट में नियोजित करते हुए अवशेष भूमि भविष्य हेतु आरक्षित कर तलपट मानचित्र में संशोधन किया गया है।

संशोधित तलपट मानचित्र क्रमशः अनुलग्नक-1 व 2 पर अवस्थित है। इन तलपट मानचित्र के अनुसार पूर्व आवंटियों को यथासंभव यथास्थान पुनः भूखण्ड का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाना होगा।

<u>प्रस्ताव:</u>

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में हरदोई रोड योजना के बसन्त कुंज के सेक्टर 'ओ' व 'एन' के संशोधित तलपट मानचित्र प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक -1

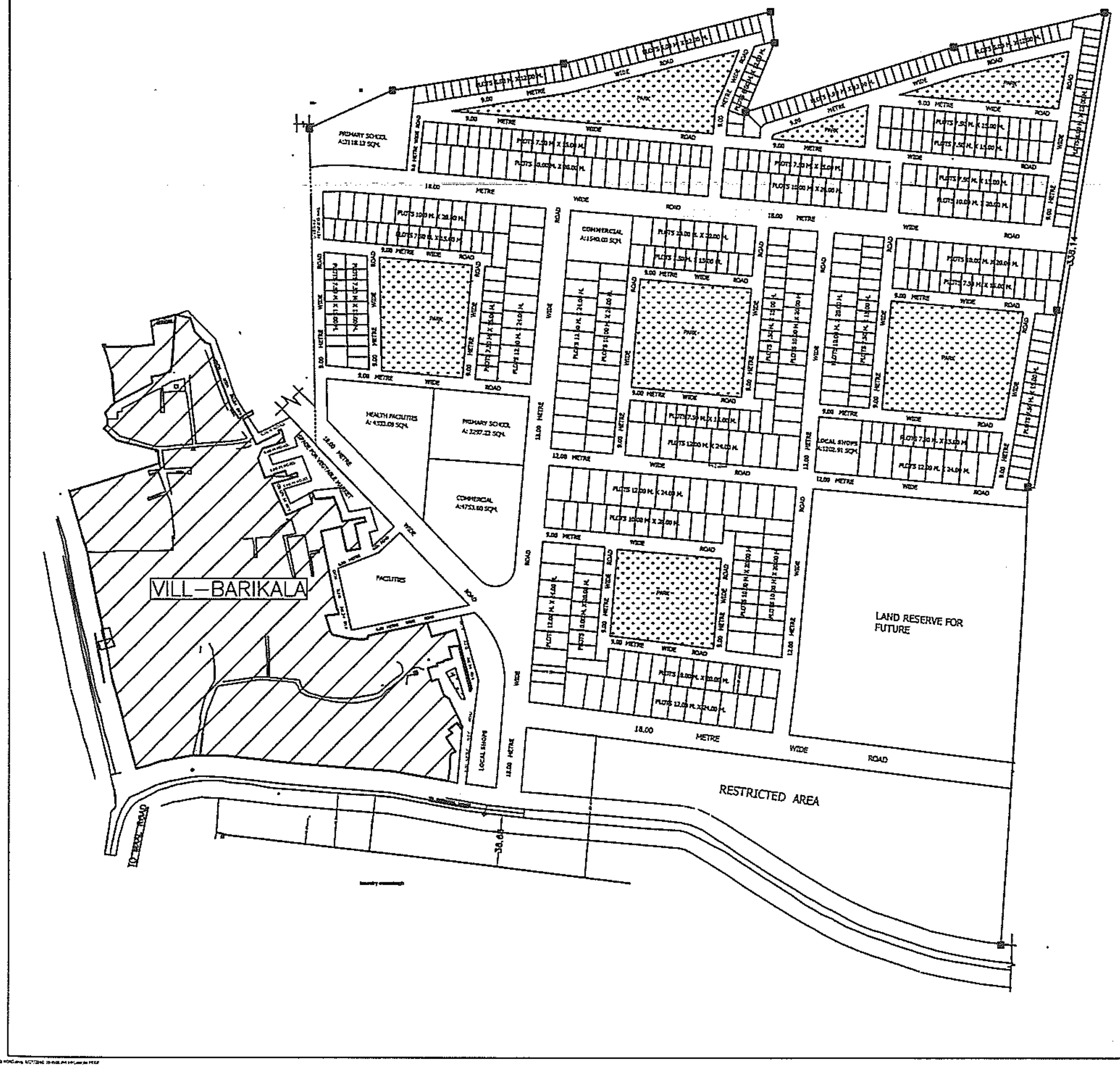

PROPOSED LAYOUT PLAN OF SECTOR - O BASANT KUNJ, HARDOI ROAD SCHEME; LUCKNOW.

NO	TYPE	SIZE OF PLOTS	AREA	NOS
1.	PLOTS(H.I.G.1)	12.00 M.X 24.00M.	288.00 SQM.	074
2.	PLOTS(H.I.G.2)	10.00 M.X 20.00M.	200.00 SQM.	163
3.	PLOTS(M.I.G.)	07.50 M.X 15.00M.	112.50 SQM.	232
4	PLOTS(L.I.G.)	06.00 M.X 12.00M.	072.00 SQM.	115

TOTAL AREAOF SCHEME	320802.52 SQM.	% AGE
AREA UNDER VILLAGE	65230.31 SQM.	
RESTRICTED AREA	24378.81 SQM.	
NET AREA OF SCHEME	231193.40SQM.	
AREA UNDER FUTURE DEV.	27480.15 SQM.	11.89 %
AREA UNDER PLOTS	91251.91 SQM.	39.47 %
AREA UNDER FACILITIES	08749.08 SQ.M.	03.78 %
AREA UNDER COMMERCIAL	11295.90 SQ.M.	04.89 %
AREA UNDER SCHOOL	6415.35 SQM.	02.78 %
AREA UNDER PARKS	31097.46 SQM.	13.45%
AREA UNDER ROADS	54903.55SQ.M.	23.74 %

NOTES:-

1. THIS REV. LAYOUT PLAN HAS BEEN RELEASED FOR ESTIMATION PURPOSE .
2. SUBJECT TO APPROVAL FROM BOARD .
3. SUBJECT TO NOC FORM ASI .

SN.	PARTICULARS	DATE	SIGN

R E V I S I O N

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

DATE	JUNE, 2010
DRG. NO.	
DEALT BY	J. KAUR
CHECKED BY	

SCALE -

ANITA SRIVASTAVA
A.T.P.

RAVI JAIN
C.T.P.

M.K. NARAYAN
V.C.

49

अनुलग्नक -1

अनुलग्नक-2

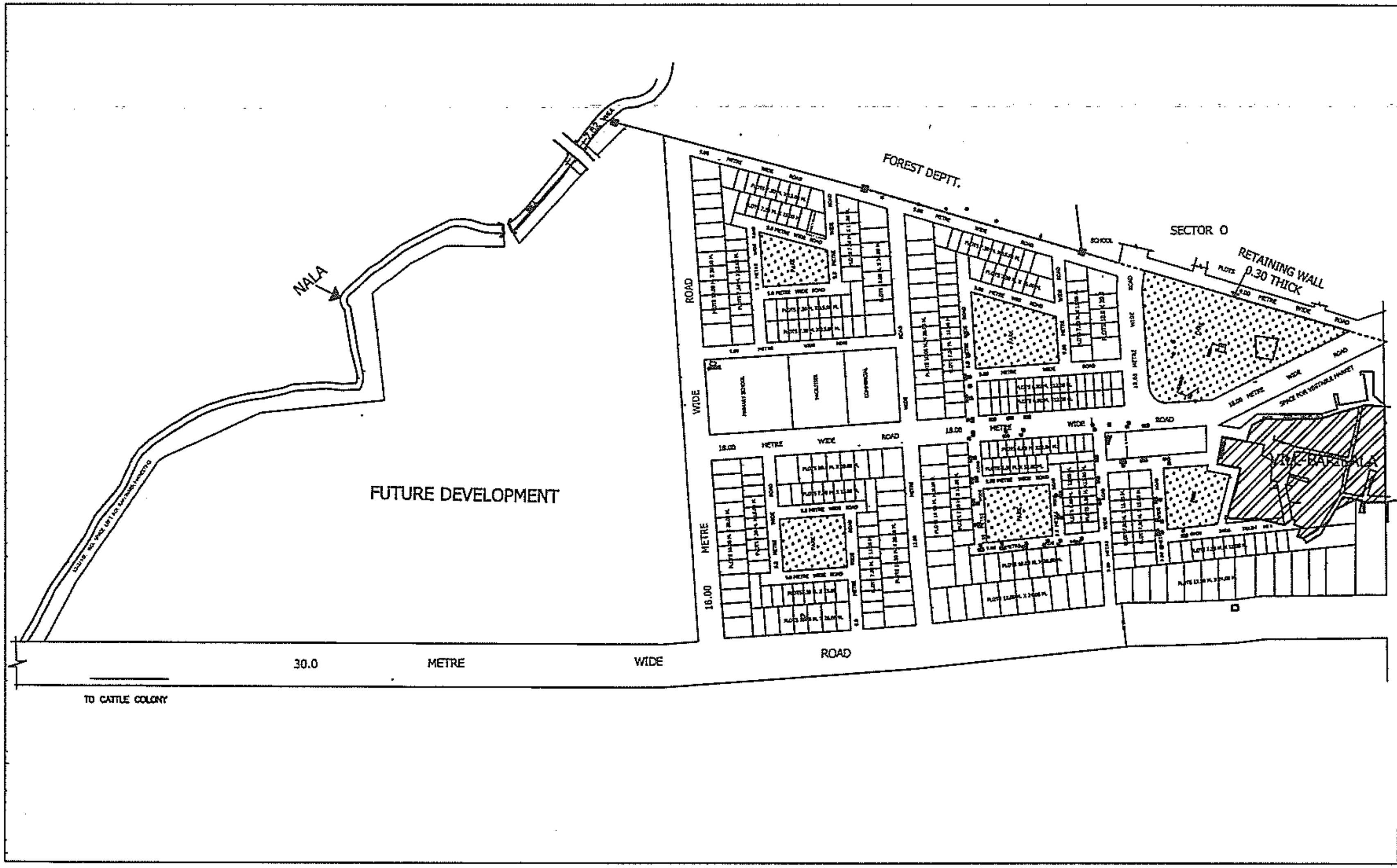

PROPOSED LAYOUT PLAN OF SECTOR - N BASANT KUNJ, HARDOI ROAD SCHEME; LUCKNOW.

DETAIL OF PLOTS:-

NO	TYPE	SIZE OF PLOTS	AREA	NOS
1.	PLOTS(H.I.G.1)	12.00 M.X 24.00M.	288.00 SQM.	023
2.	PLOTS(H.I.G.2)	10.00 M.X 20.00M.	200.00 SQM.	094
3.	PLOTS(M.I.G.)	07.50 M.X 15.00M.	112.50 SQM.	167
4.	PLOTS(L.I.G.)	06.00 M.X 12.00M.	072.00 SQM.	070

AREA STATEMENT:-

NO	PARTICULARS	AREA	% AGE
	TOTAL AREAOF SCHEME	220286.83 SQM.	
	AREA UNDER R.W.HARVES.	6591.60 SQM.	02.99 %
	AREA UNDER FUTURE DEV.	86308.25 SQM.	39.18 %
	AREA UNDER PLOTS	54042.51 SQM.	24.53 %
	AREA UNDER FACILITIES	02570.85 SQ.M.	01.17 %
	AREA UNDER COMMERCIAL	04855.80 SQ.M.	02.21 %
	AREA UNDER SCHOOL	3026.45 SQM.	01.37 %
	AREA UNDER PARKS	16409.59 SQM.	07.45 %
	AREA UNDER ROADS	46481.78 SQ.M.	21.10 %

NOTES:-
1. THIS REV. LAYOUT PLAN HAS BEEN RELEASED FOR ESTIMATION PURPOSE .
2. SUBJECT TO APPROVAL FROM BOARD .

TENTATIVE:-

SN.	PARTICULARS	DATE	SIGN
	R E V I S I O N		

DATE: JUNE, 2010
DRG. NO.
DEALT BY: J. KAUR
CHECKED BY
SCALE

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

ANITA SRIVASTAVA
A.T.P.

RAVI JAIN
T.P.

M.K. NARAYAN
V.C.

अनुलग्नक-2

प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

विषय

स्व0 श्री सन्तोष कुमार निगम, राजस्व निरीक्षक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्धं में।

प्रस्ताव

श्री सन्तोष कुमार निगम, राजस्व निरीक्षक लीवर सम्बन्धी गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। इनकी चिकित्सा स्थानीय विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक, निराला नगर, लखनऊ में हुई है। श्री निगम की चिकित्सा हेतु रू0 2,42,500.00 चिकित्सा अग्रिम के रूप में प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया गया है। चिकित्सा के दौरान ही श्री निगम का आकस्मिक निधन दिनांक: 28.04.10 को हो गया है।

श्री निगम की चिकित्सा पर हुए व्यय के समस्त बाऊचर्स रू0 9,14,711.00 एवं हास्पिटल द्वारा निर्गत् अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रचलित नियमानुसार कार्यालय पत्र संख्या: 273/सा0प्र0/2010 दिनांक: 19.05.2010 द्वारा परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षर हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रेषित किया गया था। उक्त कार्यालय द्वारा समस्त बाऊचर्स का परीक्षण करने के उपरान्त पत्र संख्या: ए0डी0/चि0व्ययप्रतिपूर्ति/2010/664 दिनांक: 28.05.2010 द्वारा कुल धनांक रू0 8,31,835.00 प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति करते हुए समस्त बाऊचर्स एवं अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

अत: अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की सस्तुति के दृष्टिगत स्व0 श्री सन्तोष कुमार निगम, राजस्व निरीक्षक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 8,31,835.00 (आठ लाख इक्तीस हजार आठ सौ पैतीस) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(अनुमोदनार्थ)

कनिष्ठ लिपिक

उप सचिव
ल0 वि0 प्राधिकरण

संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषयः- रायबरेली रोड पर ग्राम कल्ली पश्चिम में प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

में. गर्व बेल्डटेक प्रा.लि. को 2700 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मुख्यसचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा चयन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण एवं में. गर्व बेल्डटेक के मध्य एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है। हाईटेक टाउनशिप हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 22.6.10 द्वारा विकासकर्ता का कन्सेप्चुअल डी.पी.आर. अनुमोदित किया गया है। में. गर्व बेल्डटेक द्वारा शासनादेश दिनांक 17.09.07 के आलोक में प्रथम चरण में फेज-1 के अन्तर्गत 344.386 हे. भूमि पर योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें कुल 295.072 हे. अर्जित की जाने वाली भूमि, 31.850 हे. ग्राम समाज की भूमि, 17.464 हे. ग्रामीण सीलिंग की भूमि सम्मिलित है।

2. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा में. गर्व बेल्डटेक द्वारा प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप योजना फेज-1 हेतु ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील/जनपद लखनऊ में 295.072 हे. भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में जिलाधिकारी,लखनऊ को प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित योजना के लिये 295.072 हे. भूमि के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

3. हाईटेक टाउनशिप परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण शासनादेश दिनांक 17.09.07 के आलोक में किये जाने का प्रस्ताव है **(संलग्नक-1)**। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मुख्यसचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति द्वारा मे. गर्व बेल्डटेक प्रा.लि. के पक्ष में लखनऊ जनपद में 2700 एकड़ भूमि पर विकास करने हेतु चयन किया गया है **(संलग्नक-2)**। स्थल विशेष पर हाईटेक टाउनशिप हेतु विकासकर्ता का कन्सेप्चुअल डी.पी.आर. दिनांक 22.6.10 को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है**(संलग्नक-3)**।

<u>प्रस्तावः-</u>

उपरोक्त टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुये हाईटेक टाउनशिप योजना हेतु मे. गर्व बेल्डटेक द्वारा ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील/जिला लखनऊ में प्रथम चरण में प्रस्तावित 295.072 हे. भूमि के अधिग्रहण की कार्योत्तर स्वीकृति।

विषयः—अवध अपार्टमेन्ट सहकारी आवास समिति लि0 को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में आवंटित समूह आवास भूखण्ड सं0-जी0एच0-4/23 के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु :—अवध अपार्टमेन्ट सहकारी आवास समिति लि0 को समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2009 के विषय संख्या-10 पर गोमती नगर विस्तार योजना में भूखण्ड संख्या-4/21 के आवंटन पर स्वीकृति प्रदान की गयी। भूखण्ड भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को आवासीय फ्लैटों हेतु आंवटित किया गया था, जिसे कालान्तर में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के विषय सं0-9 में भूखण्ड संख्या-4/23 गोमती नगर विस्तार योजना पर समायोजित कर दिया गया। इसी बैठक में विषय संख्या-8 पर समिति के सदस्यों के रूप में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड के उक्त निर्णयों के अनुसार समिति को सूचित किया जा चुका है तथा समिति द्वारा भूखण्ड के मूल्य रू0-5,54,80,456/- के सापेक्ष रू0-4,58,46,454/- जमा कर दिया है। समिति के सचिव श्री अनुराग खरे के पत्र दिनांक 10.5.2010 में पूर्व से अनुमन्य सदस्यों के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों जैसे-विकास प्राधिकरण, यू0पी0पी0सी0एल0 एवं अन्य अधिकारियों को भी समिति के सदस्य बनाये जाने की अनुमति चाही गयी है तथा पत्र दिनांक 13.8.2010 मे समिति द्वारा जमा धनराशि का समायोजन करके अवशेष धनराशि की पुनः किश्तें निर्धारित कर अनुबन्ध कराकर कब्जा दिये जाने की प्रार्थना की गयी है। चूँकि समिति द्वारा भूखण्ड के मूल्य की लगभग 83% धनराशि, लीज रेन्ट एवं अन्य व्यय अदा किया जा चुका हैं इसलिये उपाध्यक्ष स्तर से निर्णय लेकर शेष धनराशि रू0-1,56,94,242/- की दो त्रैमासिक किश्तें करके लीज अनुबन्ध निष्पादित/निबन्धित कराकर भूखण्ड सं0-4/23 गोमती नगर विस्तार का कब्जा दिनांक 17.8.2010 को दिया जा चुका है। समिति के अनुरोध दिनांक 10.5.2010 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ, यू0पी0पी0सी0एल0, विकास प्राधिकरण एवं इनके समकक्ष विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करने की अनुमति दिया जाना है।

प्रस्ताव— अतः बोर्ड बैठक दिनांक 30.9.2009 में लिये गये निर्णय के तारतम्य में अवध अपार्टमेन्ट सहकारी आवास के सदस्यों में भारतीय राजस्व सेवा के तथा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के साथ, यू0पी0पी0सी0एल0, विकास प्राधिकरण एवं इनके समकक्ष विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

25/8/10
25.8.10
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
उप सचिव अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय–इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की बिना प्रीमियम के मात्र लीजरेन्ट पर पट्टे पर दी गयी भूमि के फ्रीहोल्ड किये जाने के संबंध में दरों का पुनः निर्धारण।

प्रस्ताव :–

पूर्व में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा दिये गये पट्टों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 8.3.1999 को विषय संख्या–11 विचारार्थ रखा गया था। इस प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 30.11.1991 को लागू सर्किल रेट का 40 प्रतिशत एकल आवासीय हेतु, 60 प्रतिशत ग्रुप हाउसिंग हेतु एवं 75 प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु धनराशि प्राप्त कर फ्रीहोल्ड करने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.1.2000 में विषय संख्या–26 पर यह प्रस्ताव रखे जाने पर निर्णय हुआ था कि 31.1.2000 तक जो फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उन मामलों में दिनांक 30.11.1991 को लागू जिलाधिकारी सर्किल दर की नियमानुसार धनराशि देय होगी, तथा दिनांक 31.01.2000 के पश्चात् प्राप्त फ्रीहोल्ड आवेदन पत्रों पर वर्ष 1995 की सर्किल दर के आधार पर गणना करके धनराशि देय होगी। विगत कई वर्षो में भूमि की बाजारू दर में काफी अधिक वृद्धि हो चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति अत्यन्त कमजोर होती जा रही है आय की तुलना में व्यय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।

प्राधिकरण हित में अत्यन्त आवश्यक है कि बिना प्रीमियम के पट्टों को दिनांक 01.9.2010 तक प्राप्त होने वाले फ्रीहोल्ड आवेदन पत्रों को पूर्व की भाँति वर्ष 1995 को लागू प्रचलित दर पर निस्तारित किया जाय तथा दिनांक 01.9.2010 के पश्चात् प्राप्त होने वाले फ्रीहोल्ड आवेदन पत्रों को आवेदन की तिथि को प्रचलित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार पूर्व की भाँति 40 प्रतिशत एकल आवासीय, 60 प्रतिशत ग्रुप हाउसिंग व 75 प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु शुल्क लेकर निस्तारित किया जाय।

27.8.10